



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102026-277012
CG-MH-E-09102026-277012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948
No. 604]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 अक्टूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026

पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रजिस्ट्रेशन, उनके कामकाज, उनके दायित्वों, उनकी जिम्मेदारियों और उनसे संबंधित विषयों का प्रावधान करने के लिए विनियामक (रेग्यूलेटरी) ढाँचा निर्धारित करने हेतु विनियम

फा. सं. सेबी/एल.ए.डी-डी.ओ.पी/2026/322.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(1), धारा 11(2)(ख) और धारा 12(1) के साथ पठित धारा 30(1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

अध्याय - I

प्रारंभिक

1. नाम और लागू होने की तारीख

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026 है।
- (2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ कुछ और न हो तब तक -
 - (क) “अधिनियम” का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) [1992 का 15];
 - (ख) “अक्रेडिटिड निवेशक” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 2012] के विनियम 2(1)(कख) में इसके लिए दिया हुआ है;
 - (ग) “ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड” (ए.आई.एफ. / आनुकल्पिक निवेश निधि) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 2012] के विनियम 2(1)(ख) में इसके लिए दिया हुआ है;
 - (घ) पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में “सहयोगी” (असोसिएट) का अर्थ है, —
 - (i) वह बॉडी कारपोरेट, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधक के निदेशक या भागीदार (पार्टनर) के पास (या तो अकेले का या दोनों का मिलाकर), यथास्थिति, उसकी पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल या पार्टनरशिप इंटरेस्ट का बीस प्रतिशत से अधिक हो; या;

- (ii) वह बॉडी कारपोरेट, जिसके पास (या तो अकेले का या दोनों का मिलाकर) पोर्टफोलियो प्रबंधक की, यथास्थिति, पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल या पार्टनरशिप इंटरेस्ट का बीस प्रतिशत से अधिक हो;
- (ड) “बॉडी कारपोरेट” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(11) [समय-समय पर यथा संशोधित] में इसके लिए दिया हुआ है;
- (च) “प्रमाणपत्र” का अर्थ है - बोर्ड द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन);
- (छ) “नियंत्रण में परिवर्तन” का अर्थ, उस बॉडी कारपोरेट के मामले में -
- i. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटेंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] के विनियम 2(1)(ड) में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा, जिसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों;
 - ii. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(27) में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा, जिसके शेयर किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों;
- (ज) “चार्टर्ड अकाउंटेंट” का अर्थ है - चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2(1)(ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जिसे उस अधिनियम की धारा 6(1) के तहत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (व्यवसाय-प्रमाणपत्र) मिला हुआ हो;
- (झ) “सह-निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधक” (को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर) का अर्थ है - वह पोर्टफोलियो प्रबंधक, जो श्रेणी-I या श्रेणी-II के ए.आई.एफ. का प्रबंधक हो, और -
- i. केवल श्रेणी-I या श्रेणी-II के ऐसे ए.आई.एफ. के निवेशकों को ही सेवाएँ प्रदान करता हो; और
 - ii. केवल उन इन्वेस्टी कंपनियों (ऐसी कंपनियाँ जिनमें निवेश किया जाए) की

अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़ में ही निवेश करता हो, जहाँ श्रेणी-I या श्रेणी-II का ए.आई.एफ. (के ए.आई.एफ.) निवेश करता हो (करते हों):

परंतु यह कि को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधक श्रेणी-I या श्रेणी-II के किसी (किन्हीं) ऐसे दूसरे ए.आई.एफ. के निवेशकों को सेवाएँ प्रदान कर सकेगा, जिसका (जिनका) प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता हो और जिसका (जिनका) प्रायोजक (स्पॉन्सर) भी एक ही हो (हों);

(ज) डिस्केशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक का अर्थ है - वह पोर्टफोलियो प्रबंधक, जो पोर्टफोलियो के प्रबंधन (मैनेजमेंट) हेतु किए गए करार (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत यह निर्णय पूरी तरह से खुद ही लेता है या ले सकता है कि ग्राहक का पैसा (के फंड) कहाँ और कब निवेश करना है और जो ग्राहकों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के पोर्टफोलियो का प्रबंधन (मैनेजमेंट) भी पूरी तरह से अपनी समझ से करता है;

(ट) “पात्र फंड मैनेजर” (निधि प्रबंधक) का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 की 30) की धारा 9(12) में इसके लिए दिया हुआ है;

(ठ) “पात्र निवेश फंड” (इन्वेस्टमेंट फंड) का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 की 30) की धारा 9(12) में इसके लिए दिया हुआ है;

(ड) “वस्तुओं” का अर्थ है - केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 2(खग) के तहत अधिसूचित की हुई वस्तुएं (गुड्स), और जो किसी कमोडिटी डेरिवेटिव की अंडरलाइंग होती हैं;

(ढ) “स्वतंत्र फंड मैनेजर” का अर्थ है - वह फंड मैनेजर, जो ग्राहकों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित की हुई शर्तों आदि के अनुसार, किसी रजिस्टर पोर्टफोलियो प्रबंधक के साथ मिलकर करता है;

(ण) “निरीक्षण प्राधिकारी” का अर्थ है - ऐसा कोई एक व्यक्ति या ऐसे कोई एक से अधिक

व्यक्ति, जिसे या जिन्हें बोर्ड द्वारा इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के अध्याय-VII के तहत प्रदान की हुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

- (त) “इन्वेस्टी कंपनी” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 2012] के विनियम 2(1)(ण) में इसके लिए दिया हुआ है;
- (थ) “निवेश करार” का अर्थ है - ग्राहक और पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच किया गया करार (कॉन्ट्रैक्ट), जिससे वे कानूनी तौर पर बंधे हों और जिसमें यह जिक्र हो कि उनका आपसी संबंध कैसा होगा, उन दोनों के कौन-कौन से अधिकार होंगे, उनके क्या-क्या दायित्व आदि होंगे और साथ ही जिसमें यह भी जिक्र हो कि पोर्टफोलियो के प्रबंधन का प्राधिकार (अथॉरिटी) किसके पास रहेगा और जिसमें उनके द्वारा आपसी सहमति से तय की गई शर्तों आदि का भी जिक्र होगा, हालाँकि इन विनियमों में दिए हुए प्रावधानों का पालन तो करना ही होगा;
- (द) “निवेश नीति” (इन्वेस्टमेंट अप्रोच) का अर्थ है - ग्राहक के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक, अपेक्षानुसार ग्राहकों के लिहाज से और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) से जुड़े पहलुओं के लिहाज से, मौटे तौर पर यह तय करना कि किस-किस तरह के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में और किन-किन अनुमत इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाएगा;
- (ध) “अत्यधिक निवेश करने वाले अक्रेडिटिड निवेशक” (लार्ज वैल्यू अक्रेडिटिड इन्वेस्टर) का अर्थ है - वह अक्रेडिटिड निवेशक, जिसने कम से कम दस करोड़ रुपये की रकम का निवेश करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक के साथ करार (एग्रीमेंट) किया हो;
- (न) “प्रबंधक” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 2012] के विनियम 2(1)(थ) में इसके लिए दिया हुआ है;

- (प) “नेटवर्थ” का अर्थ है - पेड-अप इक्विटी कैपिटल, सिक्यूरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट और फ्री रिज़र्व्स [रीवैल्यूएशन रिज़र्व्स को छोड़कर] के कुल मूल्य में से पहले से हुए नुकसानों, आस्थगित व्यय (डेफर्ड एक्सपेंडिचर) और विविध खर्च (जिसे बट्टे खाते न डाला गया हो) तथा पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा दिए गए कर्ज आदि [जिसमें उनके संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टी) या सहयोगियों (असोसिएट्स) को दिए गए कर्ज आदि की रकम भी शामिल है] के कुल मूल्य को घटाकर निकाला गया मूल्य;
- (फ) “एन.आई.एस.एम.” (राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान) का अर्थ है - बोर्ड द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान;
- (ब) नॉन-डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक का अर्थ है - वह पोर्टफोलियो प्रबंधक, जो पोर्टफोलियो के प्रबंधन (मैनेजमेंट) हेतु किए गए करार (कॉण्ट्रैक्ट) के तहत ग्राहक के पैसों (फंड) और ग्राहक के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के पोर्टफोलियो का प्रबंधन (मैनेजमेंट) ग्राहक के निदेशानुसार करता है;
- (भ) “पोर्टफोलियो” का अर्थ है - किसी व्यक्ति के शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) और उसकी वस्तुएँ (गुड्स);
- (म) “पोर्टफोलियो प्रबंधक” का अर्थ है - वह बॉडी कारपोरेट, जो ग्राहक के साथ किए गए करार (कॉण्ट्रैक्ट) की शर्तों के अनुसार, सलाह देता है या निदेश देता है या ग्राहक की ओर से, यथास्थिति, ग्राहक के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं (गुड्स) के पोर्टफोलियो अथवा उसके फंड के प्रबंधन का कामकाज संभालता है (फिर चाहे डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में या किसी अन्य रूप में);
- परंतु यह कि पोर्टफोलियो प्रबंधक क्मोडिटी डेरिवेटिव के फिज़िकल सेटलमेंट के सिलसिले में होने वाली डिलीवरी पर मिलने वाली वस्तुओं में लेनदेन (डील) कर सकेगा;
- (य) “म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश हेतु पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रूट (प्रिम) का अर्थ है - इन विनियमों के अध्याय-VI के प्रावधानों के अनुसार निवेश नीति (इन्वेस्टमेंट अप्रोच);

(कक) “मुख्य अधिकारी” का अर्थ है - पोर्टफोलियो प्रबंधक का वह कर्मचारी, जिसे पोर्टफोलियो प्रबंधक ने यह ओहदा दिया हो, और जो -

- (i) यथास्थिति, ग्राहक (क्लाइंट) के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के पोर्टफोलियो या पैसों (फंड) का प्रबंधन आदि करने के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के लिए जिम्मेदार हो; और
- (ii) पोर्टफोलियो प्रबंधक के दूसरे समस्त कामकाज के लिए जिम्मेदार हो;

(खख) “रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स” का अर्थ है - ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट, जहाँ, शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) में इनोवेशन लाने के लिए, एक तय अवधि हेतु, कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स (उत्पाद), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे;

(गग) पोर्टफोलियो प्रबंधक के संबंध में, “संबंधित पक्ष” (रिलेटेड पार्टी) का अर्थ है -

- (i) कोई निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या उसका नातेदार;
- (ii) प्रबंध मंडल का कोई मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सोनल) या उसका नातेदार;
- (iii) कोई फर्म, जिसमें निदेशक, भागीदार (पार्टनर), प्रबंधक (मैनेजर) या उसका नातेदार भागीदार हो;
- (iv) कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या प्रबंधक या उसका नातेदार सदस्य (मेम्बर) या निदेशक हो;
- (v) कोई पब्लिक कंपनी, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधक का निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या प्रबंधक निदेशक हो और उसकी पेड-अप शेयर कैपिटल में उसका और उसके नातेदारों का हिस्सा मिलाकर दो प्रतिशत से अधिक हो;
- (vi) कोई बॉडी कारपोरेट, जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या प्रबंधक निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या प्रबंधक की सलाह, उसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है;
- (vii) कोई व्यक्ति, जिसकी सलाह, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या प्रबंधक कार्य करता है;

परंतु यह कि उप-खंड (vi) और (vii) की कोई भी बात पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से दी गई सलाह, दिए गए निदेशों या अनुदेशों के मामले में लागू नहीं होगी;

(viii) कोई बॉडी कारपोरेट, जो -

- i. पोर्टफोलियो प्रबंधक की होल्डिंग (नियंत्रि), सब्सिडियरी या सहयोगी (असोसिएट) कंपनी हो; या
- ii. होल्डिंग (नियंत्रि) कंपनी की सब्सिडियरी हो जिसका पोर्टफोलियो प्रबंधक भी एक सब्सिडियरी हो; या
- iii. पोर्टफोलियो प्रबंधक की निवेश करने वाली कंपनी (इन्वेस्टिंग कंपनी) या उसकी वेंचरर हो;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के सिलसिले में, “पोर्टफोलियो प्रबंधक की इन्वेस्टिंग कंपनी या उसकी वेंचरर” का अर्थ है - वह बॉडी कारपोरेट, जिसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक में निवेश किए जाने की वजह से पोर्टफोलियो प्रबंधक बॉडी कारपोरेट का सहयोगी (असोसिएट) बन जाएगा ।

- (ix) कोई वह संबंधित पक्ष (रिलेटेड पार्टी), जिसकी परिभाषा अकाउंटिंग के लागू मानदंडों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) में दी हुई है;
- (x) बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति:

परंतु यह कि —

- i. ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसी किसी एंटीटी को संबंधित पक्ष (रिलेटेड पार्टी) माना जाएगा, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी का प्रमोटर या उसके प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हो; या
- ii. ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसी किसी एंटीटी को संबंधित पक्ष माना जाएगा, जिसके पास, ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी समय, या तो प्रत्यक्ष रूप से या बेनिफिशियल इंटरैस्ट के आधार पर (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 में जिक्र किया गया है), सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी में दस प्रतिशत या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर हों;

(घघ) “अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक” (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का अर्थ है - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल कोई बैंक;

(डड) “शेयरों आदि को उधार देने” का अर्थ है - बोर्ड द्वारा वर्ष 1997 में शेयरों को उधार देने के संबंध में बनाई गई स्कीम (सिक्यूरिटीज़ लेंडिंग स्कीम, 1997) के अनुसार शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को उधार देना;

(चच) “स्पॉन्सर” (प्रायोजक) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्यूलेशन्स, 2012] के विनियम 2(1)(ब) में इसके लिए दिया हुआ है;

(2) इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में उपयोग किए गए और अपरिभाषित, किंतु अधिनियम (एक्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956) [1956 का 42], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996) [1996 का 22], कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उनमें किए गए किसी कानूनी संशोधन आदि में उनके लिए दिए हुए हैं ।

अध्याय - II

पोर्टफोलियो प्रबंधकों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया

3. पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन और फीस का भुगतान

- (1) जो एंटिटी पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करना चाहती हो, उसे बोर्ड के पास बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्म में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ पहली अनुसूची में बताई गई आवेदन फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) भी जमा करानी होगी ।
- (2) बोर्ड, आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए, आवेदक से यह कह सकेगा कि वह ऐसी कुछ और जानकारी प्रस्तुत करे या स्पष्टीकरण दे, जो भी पोर्टफोलियो प्रबंधक के तौर पर उसके कार्य आदि से जुड़े मामलों के संबंध में बोर्ड को जरूरी लगे ।
- (3) यदि कोई आवेदन किसी भी तरह से अधूरा पाया गया, तो उसे नामंजूर किया जा सकेगा।
- (4) उप-विनियम (3) के तहत किसी आवेदन को नामंजूर करने से पहले, आवेदक को बोर्ड द्वारा जताई गई आपत्तियों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर (जो तीस कैलेंडर दिनों से कम का नहीं होगा) बदलाव आदि करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।
- (5) बोर्ड जब इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि आवेदक इन विनियमों के विनियम 4 के प्रावधानों के अनुसार खरा उतरता है, तो वह आवेदक को इस संबंध में सूचना भेजेगा ।
- (6) आवेदक, बोर्ड से सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस कैलेंडर दिनों के भीतर, पहली अनुसूची में रजिस्ट्रेशन हेतु बताई गई फीस अदा करेगा ।
- (7) उप-विनियम (6) के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त हो जाने के बाद, बोर्ड निर्धारित फॉर्मेट में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।
- (8) इन विनियमों के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए ।

4. आवेदन पर विचार

आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करते समय, बोर्ड उन सभी बातों पर विचार करेगा जो उसे पोर्टफोलियो प्रबंधन के कार्यों आदि के लिहाज से जरूरी लगें, जिसके अंतर्गत इन बातों पर भी गौर किया जाएगा —

(क) पात्रता के पैमाने और बुनियादी सुविधाएँ:

क्र.सं.	प्रावधान	विवरण
(i)	एंटीटी के बारे में	आवेदक एक बॉडी कारपोरेट हो ।
(ii)	बुनियादी सुविधाओं के बारे में	(क) आवेदक के पास पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सही ढंग से कार्य आदि करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) हों, जैसे कि कार्यालय हेतु पर्याप्त स्थान हो, पर्याप्त उपकरण हों, डीलिंग रूम हो, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों । (ख) बोर्ड समय-समय पर यह बताएगा कि किन पोर्टफोलियो प्रबंधकों के मामले में डीलिंग रूम का प्रावधान जरूरी नहीं है ।
(iii)	मुख्य व्यक्तियों के बारे में	आवेदक ने एक मुख्य अधिकारी, एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) तथा एक और कर्मचारी नियुक्त किया हो ।
(iv)	नेटवर्थ के बारे में	(क) आवेदक की नेटवर्थ हमेशा कम से कम पाँच करोड़ रुपये की रहे । (ख) इस विनियम के अनुसार जितनी नेटवर्थ होनी जरूरी है, उतनी नेटवर्थ आवेदक की पूरी तरह से अलग से होनी चाहिए, और उसका संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन्स) और अधिनियमों (एक्ट्स) के तहत आवेदक की दूसरी

		कारोबारी गतिविधियों में लगी हुई पूँजी से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए । (ग) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके लिए कम से कम जितनी नेटवर्थ होनी जरूरी है उसका कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा लिक्विड असेट्स में लगा हो और जिन पर कोई ऋण-भार न हो । लिक्विड असेट में शामिल हैं - नकद में रखा गया पैसा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों) के यहाँ रखे बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), ट्रेजरी बिल (खजाना बिल), सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित रेपो, म्यूचुअल फंड स्कीमों की लिक्विड फंड की यूनिटें तथा ओवरनाइट फंड की यूनिटें और बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट । (घ) मौजूदा पोर्टफोलियो प्रबंधक को इन विनियमों के लागू होने की तारीख से बारह महीनों के भीतर इस प्रावधान का पालन करना होगा ।
(v)	आवेदक के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति से संबंधित मानदंड	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इंटरमीडियरीज़) विनियम, 2008 की अनुसूची-II के अनुसार आवेदक एक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' हो ।
(vi)	निवेशक हित	आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करना निवेशकों के हित में हो।

(ख) कर्मचारियों की योग्यताएँ और उनका अनुभव:

क्र.सं.	भूमिका	शिक्षा	प्रमाणपत्र	अनुभव
(i)	मुख्य अधिकारी	केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार	मुख्य अधिकारी बोर्ड द्वारा समय-समय पर	सिक्यूरिटीज़ मार्केट के क्षेत्र से जुड़े कार्यों में कम से

		से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो; अथवा यूएसए के सीएफए इंस्टीट्यूट से सीएफए चार्टर हो, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से कंपनी सेक्रेटरी हो, या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो; और	बताया जाने वाला एन.आई.एस.एम. का संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उस प्रमाणपत्र की मान्यता की अवधि समाप्त होने से पहले ही वह नया प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले ।	कम पाँच वर्षों का अनुभव हो, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधक, स्टॉक ब्रोकर, निवेश सलाहकार (इन्वेस्टमेंट एडवाइजर), रिसर्च एनालिस्ट (अनुसंधान विश्लेषक) के यहाँ या फिर फंड मैनेजर के रूप में कार्य करने का अनुभव शामिल है; उपरोक्त पाँच वर्षों में से, कम से कम दो वर्षों का अनुभव पोर्टफोलियो प्रबंधन या निवेश सलाहकार से संबंधित सेवाओं का हो या फिर फंड मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों का हो ।
(ii)	कर्मचारी (कम से कम एक व्यक्ति)	केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त	कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी नहीं है ।	सिक्यूरिटीज़ मार्केट के क्षेत्र से जुड़े कार्यों में कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधक, स्टॉक ब्रोकर, निवेश सलाहकार (इन्वेस्टमेंट एडवाइजर), रिसर्च एनालिस्ट

		विश्वविद्यालय से स्नातक हो ।	(अनुसंधान विश्लेषक) के यहाँ या फिर फंड मैनेजर के रूप में कार्य करने का अनुभव शामिल है;
(iii)	पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी या स्वतंत्र फंड मैनेजर, जिसे फंड मैनेजमेंट से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार हो	पोर्टफोलियो प्रबंधक का कोई कर्मचारी या पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र फंड मैनेजर, जिसे फंड मैनेजमेंट से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार हो, उसके पास वही न्यूनतम योग्यताएँ व अनुभव हो और वह वही प्रमाणपत्र प्राप्त करे, जो मुख्य अधिकारी के मामले में लागू है (हैं) ।	

5. प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किए जाने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- (1) बोर्ड आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार कर सकेगा, और इस प्रकार इनकार किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर आवेदक को इस बात की जानकारी देगा और इनकार किए जाने के कारण भी बताएगा ।
- (2) आवेदक, उपरोक्त जानकारी मिलने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किए जाने के निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए बोर्ड के पास आवेदन कर सकेगा ।
- (3) बोर्ड इस प्रकार किए गए आवेदन पर फिर से विचार करेगा और इस संबंध में अपना निर्णय जल्द से जल्द आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें

इन विनियमों के विनियम 3(7) के अनुसार प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में नीचे बताई गई शर्तों का भी पालन करना होगा, अर्थात् -

- (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक अधिनियम (एक्ट) और इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का पालन करेगा;
- (2) यदि बोर्ड के पास पहले प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या प्रस्तुत किए गए किन्हीं विवरणों को किसी भी मामले विशेष में झूठा या गुमराह करने वाला पाया जाता है या यदि पहले से प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो जाता है, तो ऐसे में पोर्टफोलियो प्रबंधक बोर्ड को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा;
- (3) पोर्टफोलियो प्रबंधक शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कैलेंडर दिनों के भीतर निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा, और प्राप्त शिकायतों की संख्या, उनके स्वरूप तथा उनके अन्य विवरणों से बोर्ड को अवगत कराता रहेगा;
- (4) प्रमाणपत्र जब तक मान्य रहे, तब तक पोर्टफोलियो प्रबंधक की नेटवर्थ हमेशा उतनी रहे, जितनी नेटवर्थ का जिक्र इन विनियमों के विनियम 4(क)(iv) में किया गया है;
- (5) पोर्टफोलियो प्रबंधक नियंत्रण में परिवर्तन होने के मामले में बोर्ड से पहले ही मंजूरी उसी तरह लेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;
- (6) पोर्टफोलियो प्रबंधक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' होगा, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इंटरमीडियरीज़) विनियम, 2008 की अनुसूची-II में बताया गया है;
- (7) पोर्टफोलियो प्रबंधक बोर्ड से रजिस्टर होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अपना कामकाज शुरू करेगा;

स्पष्टीकरण: इस खंड के सिलसिले में, कामकाज शुरू करने का मतलब यह माना जाएगा कि पोर्टफोलियो प्रबंधक का कामकाज करने हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को

उपरोक्त तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया है ।

- (8) इन विनियमों के लागू होने के पहले से ही जो पोर्टफोलियो प्रबंधक अपना कामकाज कर रहा हो, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छत्तीस महीनों के भीतर खंड (7) के प्रावधान पर खरा उतर जाए ।

7. रजिस्ट्रेशन को मान्य बनाए रखना

- (1) रजिस्ट्रेशन को मान्य बनाए रखने के लिए, पोर्टफोलियो प्रबंधक, जिस तीन वर्षों के ब्लॉक की अवधि के लिए फीस अदा की जा चुकी हो उस अवधि के समाप्त होने से तीन महीने पहले की अवधि के भीतर, पहली अनुसूची में बताई गई फीस अदा करेगा ।
- (2) यदि पोर्टफोलियो प्रबंधक फीस अदा नहीं करता है, तो ऐसे में बोर्ड उसके प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकता है, और पोर्टफोलियो प्रबंधक को तुरंत ही पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अपना कामकाज तब तक के लिए बंद करना होगा जब तक उसका प्रमाणपत्र निलंबित रहे ।

8. प्रमाणपत्र वापस सौंपना (सरंडर करना)

जो पोर्टफोलियो प्रबंधक, पोर्टफोलियो प्रबंधक के तौर पर कामकाज करना छोड़ना चाहता हो, वह इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत प्रदान किया गया प्रमाणपत्र वापस सौंपने के लिए बोर्ड के पास उसी तरह आवेदन करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए, और इसके लिए बोर्ड द्वारा बताई गई शर्तों का भी पालन करना होगा ।

अध्याय - III

पात्र फंड मैनेजर

9. लागू होना

(1) यह अध्याय केवल पात्र फंड मैनेजरों और पात्र निवेश फंडों [जो भारत के और दूसरे देशों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करते हैं] के पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में उनके कामकाज के मामले में ही लागू होगा ।

(2) भारत के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले पात्र निवेश फंडों के मामले में, नीचे बताए गए प्रावधानों को छोड़कर इन विनियमों के सभी प्रावधान, *जरूरी बदलावों के साथ*, पात्र निवेश फंडों के पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में उनके कामकाज के संबंध में पात्र फंड मैनेजरों पर लागू होंगे, जब तक इन विनियमों के दूसरे सभी प्रावधानों का संदर्भ कुछ और न हो या वे इस अध्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों, तब तक:

क. विनियम 15(1) का खंड(क) और खंड(ख);

ख. विनियम 15(2);

ग. विनियम 15(3);

घ. विनियम 16 के उप-विनियम (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (16), (18), (19), (20), (21);

ङ. विनियम 17(1), 17(2)(क)(iv), 17(4)(क)(i);

च. विनियम 19;

छ. विनियम 23(5);

ज. विनियम 24 के उप-विनियम (1), (2), और (3);

झ. तीसरी अनुसूची ।

(3) दूसरे देशों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले पात्र निवेश फंडों के मामले में, इन विनियमों के केवल अध्याय-I, अध्याय-II और अध्याय-III तथा इन विनियमों के विनियम 16(2) के प्रावधान (जब तक उनका संदर्भ कुछ और न हो या वे इस अध्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों) पात्र फंड मैनेजरों पर लागू होंगे (पात्र निवेश फंडों के पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में उनके कामकाज के सिलसिले में) ।

10. प्रक्रियाएँ

क्र.सं.	एंटीटी की स्थिति	पात्र फंड मैनेजर के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी प्रावधान
(1)	नया आवेदक	जो आवेदक बॉडी कारपोरेट हो और जो पात्र फंड मैनेजर के रूप में कार्य करना चाहता हो, उसे इन विनियमों के विनियम 3(7) के तहत रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जा सकेगा, यदि: क) वह आय-कर अधिनियम 2025 (2025 की 30) की धारा 9(12) में पात्र फंड मैनेजर के लिए निर्धारित की गई सभी शर्तों पर खरा उतरे; ख) वह इन विनियमों के अध्याय-II के प्रावधानों पर खरा उतरे, जब तक कि इस अध्याय में कुछ और न कहा गया हो; ग) वह पहली अनुसूची में बताई गई फीस अदा करे; और घ) वह बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में बोर्ड के पास घोषणा प्रस्तुत करे ।
(2)	जो पहले से पोर्टफोलियो प्रबंधक हो	जो पहले से पोर्टफोलियो प्रबंधक हो, वह पात्र निवेश फंड के पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकेगा, यदि: क) वह आय-कर अधिनियम 2025 (2025 की 30) की धारा 9(12) में पात्र फंड मैनेजर के लिए निर्धारित की गई सभी शर्तों पर खरा उतरे; और ख) वह ऐसे कामकाज करने से पहले बोर्ड को सूचित करे और बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में घोषणाएँ प्रस्तुत करे ।

11. पात्र फंड मैनेजरों के दायित्व और उनकी जिम्मेदारियाँ

(1) पात्र फंड मैनेजर के लिए यह जरूरी होगा कि वह -

- (क) आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 की 30) की धारा 9(12) या उसके तहत जारी किए गए किसी संशोधन, जारी की गई किसी अधिसूचना, जारी किए गए किसी स्पष्टीकरण, दिशानिर्देश (गाइडलाइन) में दिए हुए प्रावधानों का पालन करे;

- (ख) पात्र निवेश फंडों को डिस्क्रेशनरी सेवाएँ या नॉन-डिस्क्रेशनरी सेवाएँ या सलाहकार की (एडवाइज़री) सेवाएँ दें या फिर इनमें से कोई दो या सभी सेवाएँ दे;
- (ग) पात्र निवेश फंडों के साथ आपसी सहमति से किए गए करार (कॉन्ट्रैक्ट) के अनुसार कामकाज करे;
- (घ) पात्र निवेश फंडों को हर अहम जानकारी दे;
- (ङ) हर पात्र निवेश फंड के फंड और उनके शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) अलग-अलग रखे;
- (च) पात्र निवेश फंडों के फंड और शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) अपने दूसरे ग्राहकों के फंड और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) से अलग रखे;
- (छ) पात्र निवेश फंडों और दूसरे ग्राहकों (क्लाइंट्स) के पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अपने कामकाज से जुड़े बही-खाते अलग-अलग संभालकर रखे;
- (ज) भारत में निवेश करने के लिए कस्टोडियन नियुक्त करे;
- (झ) उप-खंड (ज) का पालन वहाँ नहीं करना होगा, जहाँ पात्र निवेश फंड ने लागू अधिनियम (एक्ट) या विनियमों (रेग्यूलेशन) के तहत कस्टोडियन पहले ही नियुक्त किया हुआ हो;
- (ञ) पात्र निवेश फंडों के फंड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) में रखे;
- (ट) उप-खंड (ज) का पालन वहाँ नहीं करना होगा, जहाँ पात्र निवेश फंड भारत के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश न करना चाहता हो;
- (ठ) भारत के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का पालन करे;
- (ड) आपसी सहमति से तय की गई शर्तों आदि के अनुसार फीस ले;

- (ढ) ऐसे कोई और रिकॉर्ड भी रखे, जिन्हें बोर्ड रखने को कहे, और जरूरत पड़ने पर उन्हें बोर्ड के पास प्रस्तुत करे;
- (ण) बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करे;
- (त) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट, 2002) और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन सुनिश्चित करे;
- (थ) इन विनियमों में और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स)/ दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) में दिए हुए प्रावधानों का पालन करे ।

अध्याच - IV

को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधक

12. को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए विशेष प्रावधान

- (1) को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधक, प्रबंधक (मैनेजर) के मुख्य निवेश दल (की इन्वेस्टमेंट टीम) के एक ऐसे सदस्य को मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) का ओहदा दे सकेगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 4(छ) में बताए हुए मानदंडों में से किसी भी मानदंड पर खरा उतरता हो ।
- (2) जहाँ प्रबंधक के मुख्य निवेश दल के सदस्य को इस विनियम के तहत मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, वहाँ इन विनियमों के विनियम 4(ख)(i) का प्रावधान इस प्रकार नियुक्त किए गए मुख्य अधिकारी पर लागू नहीं होगा ।
- (3) तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अलावा, को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधकों पर नीचे बताई गई शर्तें भी लागू होंगी -

- (क) किसी इन्वेस्टी कंपनी में को-इन्वेस्टर द्वारा किए जाने वाले को-इन्वेस्टमेंट की शर्तें आदि ए.आई.एफ. के निवेश की शर्तों आदि की तुलना में ज्यादा बेहतर न हों;
- (ख) किसी इन्वेस्टी कंपनी में किए गए को-इन्वेस्टमेंट से एग्जिट की शर्तें आदि (जिनमें एग्जिट किए जाने का समय आदि भी शामिल है) वैसी ही हों, जैसी ए.आई.एफ. द्वारा एग्जिट किए जाने के मामले में लागू हैं;
- (ग) इन्वेस्टी कंपनियों में किए गए को-इन्वेस्टमेंट के संबंध में को-इन्वेस्टर को समय से पहले उतना ही पैसा निकाले जाने की अनुमति हो, जितना एग्जिट ए.आई.एफ. ने ऐसी इन्वेस्टी कंपनियों में किए गए निवेश से किया हो ।
- (4) इन विनियमों के विनियम 15(2)(ग)(ix) में पोर्टफोलियो प्रबंधक के प्रदर्शन का आकलन करने की जो बात कही गई है उसके संबंध में, को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रदर्शन का आकलन उसी प्रकार करेगा, जैसा को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधक और ग्राहक के बीच तय हुआ हो ।
- (5) को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधक समस्त (शत-प्रतिशत) ए.यू.एम. (असेट अंडर मैनेजमेंट) का निवेश इन्वेस्टी कंपनियों की अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़ में करेगा, जहाँ श्रेणी-I और श्रेणी-II के ए.आई.एफ. निवेश करते हों, जिनका प्रबंधन वह प्रबंधक के रूप में करता हो ।
- (6) इन विनियमों के विनियम 27(1) में अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) को नियुक्त करने की जो बात कही गई है उसके संबंध में, को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधक अनुपालन अधिकारी की भूमिका इन विनियमों के विनियम 4(ख)(i) के अनुसार नियुक्त किए गए मुख्य अधिकारी को सौंप सकता है ।

13. कुछ प्रावधानों का लागू न होना

नीचे बताए गए प्रावधानों को छोड़कर इन विनियमों के दूसरे सभी प्रावधान, *जरूरी बदलावों के साथ*, को-इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रबंधकों पर लागू होंगे, जब तक कि इन विनियमों के

दूसरे सभी प्रावधानों का संदर्भ कुछ और न हो या वे इस अध्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों:

- (क) विनियम 4(क)(iv);
- (ख) विनियम 4(ख) के खंड (i) और (ii);
- (ग) विनियम 6(4);
- (घ) विनियम 15(2)(ग)(ix) और 15(2)(ज);
- (ङ) विनियम 16(3) और (6);
- (च) विनियम 17(4)(क)(i);
- (छ) विनियम 19;
- (ज) विनियम 27(1), (2) और (3);
- (झ) तीसरी अनुसूची के खंड 8 के उप-खंड (i) एवं (ii) ।

अध्याय - V

पोर्टफोलियो प्रबंधक के दायित्व और उसकी जिम्मेदारियाँ

14. आचार संहिता

प्रत्येक पोर्टफोलियो प्रबंधक दूसरी अनुसूची में दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करेगा ।

15. ग्राहकों के साथ करार (कॉन्ट्रैक्ट) और जानकारी देना (डिस्क्लोज़र करना)

(1) पोर्टफोलियो प्रबंधक और उसके ग्राहकों के बीच करार

- (क) किसी ग्राहक की ओर से फंड और पोर्टफोलियो के प्रबंधन का जिम्मा अपने हाथ में लेने से पहले, पोर्टफोलियो प्रबंधक उस ग्राहक के साथ निवेश के संबंध में लिखित में एक करार (एग्रीमेंट) करेगा, जिसमें उनके आपसी संबंध का स्पष्ट रूप से जिक्र हो और जिसमें पोर्टफोलियो के प्रबंधन के संबंध में दोनों के अधिकारों और दायित्वों का भी जिक्र हो और साथ ही उसमें वे ब्यौरे भी दिए हुए हों जिनका जिक्र तीसरी अनुसूची में किया गया है ।

- (ख) तीसरी अनुसूची में जो यह बताया गया है कि करार (एग्रीमेंट) में क्या-क्या जिक्र आना चाहिए, वह सब पोर्टफोलियो प्रबंधकों और अत्यधिक निवेश करने वाले अक्रेडिटिड निवेशकों के बीच किए जाने वाले करार के मामले में लागू नहीं होगा ।
- (ग) पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टी) या अपने सहयोगियों (असोसिएट) के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश ग्राहक की उसी प्रकार सहमति लेकर कर सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।
- (घ) इस उप-विनियम के खंड (ग) में सहमति लेने की जो बात कही गई है, वह उन पोर्टफोलियो प्रबंधकों के मामले में लागू नहीं होगी जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए ।

(2) 'जानकारी दिए जाने संबंधी दस्तावेज' (डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट)

- (क) उप-विनियम (1) के अनुसार ग्राहक के साथ करार (एग्रीमेंट) करने से पहले, पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक को डिजिटल फॉर्मेट में 'जानकारी दिए जाने संबंधी दस्तावेज' (डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट) प्रस्तुत करेगा, और साथ ही 'जानकारी दिए जाने संबंधी दस्तावेज' का प्रमाणपत्र भी उस फॉर्मेट में देगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।
- (ख) पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहक से निवेदन प्राप्त होने पर, डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट की कागज़ी प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए वह ग्राहक से कोई पैसा नहीं लेगा ।
- (ग) डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट में नीचे बताई गई जानकारी देनी होगी -
- i. पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जा रही हर सेवा (फिर चाहे ऐसी सेवा आउटसोर्स ही क्यों न की गई हो) की एवज में ग्राहक से कितनी फीस ली जाएगी और कैसे ली जाएगी;
 - ii. पोर्टफोलियो से जुड़े सामान्य जोखिमों की जानकारी और निवेश नीति (इनवेस्टमेंट अप्रोच) से जुड़े जोखिमों की जानकारी;

- iii. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा अकाउंटिंग के संबंध में निर्धारित किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टी) के साथ किए जाने वाले लेनदेनों (ट्रांजैक्शन्स) के ब्यौरे;
- iv. हितों के टकराव के ब्यौरे, जिनका सरोकार पोर्टफोलियो प्रबंधक की समूह (ग्रुप) कंपनियों या उसके सहयोगियों (असोसिएट्स) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से हो;
- v. पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा उसके संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टी) या सहयोगियों (असोसिएट्स) के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश के ब्यौरे;
- vi. अलग-अलग जगह निवेश करने की पोर्टफोलियो प्रबंधक की नीति (डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी) की जानकारी;
- vii. इस उप-विनियम के उप-खंड (v) और (vi) के प्रावधान उन पोर्टफोलियो प्रबंधकों पर लागू नहीं होंगे, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए । हालाँकि, बोर्ड ऐसे पोर्टफोलियो प्रबंधकों से कोई और जानकारी देने (डिस्क्लोज़ करने) के लिए कह सकेगा;
- viii. पोर्टफोलियो प्रबंधक के ठीक पहले के तीन वर्षों के लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय विवरण;
- ix. पोर्टफोलियो प्रबंधक के प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) की जानकारी:
 - क. डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक के प्रदर्शन का आकलन ठीक पहले के तीन वर्षों के 'टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न' के आधार पर किया जाएगा, और ऐसे मामलों में परफॉर्मेंस इंडीकेटर की भी जानकारी दी जाएगी;
 - ख. पोर्टफोलियो प्रबंधक को यह बताने की अनुमति दी जा सकेगी कि अलग-अलग निवेश नीति (इनवेस्टमेंट अप्रोच) के आधार पर प्रदर्शन कैसा रहा;

(घ) 'जानकारी दिए जाने संबंधी दस्तावेज' (डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट) में दी जाने वाली जानकारी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बोर्ड द्वारा बताए गए फॉर्मेट में, प्रमाणित करवानी होगी:

i. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के समय; और

ii. हर वर्ष, वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से छह महीनों के भीतर ।

(ङ) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट को हर वर्ष, वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से छह महीनों के भीतर अपडेट किया जाए ।

(च) यदि कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो जाए, तो पोर्टफोलियो प्रबंधक कुछ और दस्तावेज जोड़कर डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट को अपडेट करेगा, और फिर इस प्रकार हुए बदलाव की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर बोर्ड के पास डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट जोड़े गए दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा ।

(छ) पोर्टफोलियो प्रबंधक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के बाद किसी ग्राहक को डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट भिजवाने से पहले बोर्ड के पास डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट की प्रति स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा, और ऐसा उसे हर वर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर करना होगा ।

(ज) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के बाद हालिया डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट जोड़े गए दस्तावेजों के साथ (यदि कोई जोड़े गए हों), जल्द से जल्द उसकी वेबसाइट पर डाल दिए जाएँ और वे हर समय उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहें ।

(झ) पोर्टफोलियो प्रबंधक डिस्कलोजर डॉक्यूमेंट में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी ग्राहकों को, बदलाव होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर, देगा ।

(3) पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा ली जाने वाली फीस

(क) पोर्टफोलियो प्रबंधक, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ देने के लिए ग्राहकों से एक तय फीस लेगा, और वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मुनाफे (रिटर्न) की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देगा, और इस प्रकार ली जाने वाली फीस या तो एक तय फीस होगी या मुनाफे के आधार पर ली जाने वाली फीस होगी या फिर दोनों ही तरह की फीस होगी ।

(ख) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहकों से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई अप-फ्रंट फीस नहीं लेगा ।

(ग) पोर्टफोलियो प्रबंधक डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट में यह बताएगा कि अलग-अलग शीर्षों (हेड्स) के अंतर्गत कितने से कितने तक की फीस ली जा सकेगी ।

16. पोर्टफोलियो प्रबंधक की जिम्मेदारियाँ

(1) डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक हर ग्राहक की जरूरतों के अनुसार ग्राहक के फंड का प्रबंधन इस तरह करेगा कि उसका स्वरूप म्यूचुअल फंड जैसा न हो जाए, जबकि नॉन-डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के निदेशों के अनुसार फंड का प्रबंधन करेगा ।

(2) पोर्टफोलियो प्रबंधक भारत के बाहर निवेश प्रबंधन (इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट) का कार्य नहीं करेगा या फिर पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से संबंधित लेनदेन (ट्रांजैक्शन) नहीं करेगा, हालाँकि जहाँ दूसरे देशों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने हेतु ट्रेड किए जाने हों वहाँ ऐसा किया जा सकेगा ।

(3) पोर्टफोलियो प्रबंधक एक ग्राहक से पचास लाख रुपये से कम के फंड या उससे कम मूल्य के शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) स्वीकार नहीं करेगा या फिर दोनों ही मिलाकर पचास लाख रुपये से कम के स्वीकार नहीं करेगा ।

(4) उप-विनियम (3) में एक ग्राहक के लिए निवेश की जो न्यूनतम रकम बताई गई है, वह अक्रेडिटड निवेशक पर लागू नहीं होगी । हालाँकि, इस बात का जिक्र डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट में तथा ग्राहक और पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच तय हुई शर्तों में स्पष्ट रूप से करना होगा।

- (5) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के अधिसूचित होने की तारीख से पहले ग्राहकों के जितने भी निवेश हैं, उनके संबंध में, इन विनियमों के लागू होने की तारीख से बारह महीनों के भीतर, उप-विनियम (3) में बताई गई निवेश की न्यूनतम रकम के प्रावधान का पालन करना होगा ।
- (6) करार (एग्रीमेंट) की शुरुआती अवधि पूरी (की मैच्यूरिटी) हो जाने के बाद भी यदि पोर्टफोलियो को जारी रखा जाता है, तो उसे नया निवेश माना जाएगा ।
- (7) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के फंड के संबंध में फ़िड्यूशियरी कैपेसिटी (वैश्वसिक हैसियत) से कार्य करेगा ।
- (8) पोर्टफोलियो प्रबंधक हर ग्राहक के शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) अलग-अलग खातों में रखेगा ।
- (9) पोर्टफोलियो प्रबंधक सभी ग्राहकों के फंड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) में उसके द्वारा खोले गए अलग खाते में रखेगा ।
- (10) पोर्टफोलियो प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के प्रावधानों के तहत शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (डील) करने के संबंध में ग्राहक द्वारा तय की गई सीमा के भीतर ही शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) करेगा ।
- (11) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के फंड या उसके शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत तरीके से किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं लेगा ।
- (12) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक की ओर से फंड या शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) उधार नहीं लेगा।
- (13) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहकों की ओर से रखे गए शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं देगा, हालाँकि जिन मामलों में इन विनियमों के अनुसार ऐसा किए जाने का प्रावधान हो उन मामलों में ऐसा किया जा सकेगा ।
- (14) पोर्टफोलियो प्रबंधक निवेशकों की शिकायतों का निवारण तुरंत करेगा और उसे शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कैलेंडर दिनों के भीतर ही शिकायतों का निवारण करना

होगा, और वह शिकायतों का निवारण उसी प्रकार करेगा जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।

- (15) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवाओं के वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) के कामकाज में लगा कोई व्यक्ति या लगी कोई एंटिटी, इन विनियमों तथा इनके तहत समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों (सर्कुलर्स) के अनुसार वितरण संबंधी कामकाज करे ।
- (16) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले निवेशक चार्टर का पालन किया जाए ।
- (17) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के पोर्टफोलियो में रखे हुए शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश का मूल्यांकन, बोर्ड द्वारा निवेश के मूल्यांकन हेतु समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार करेगा ।
- (18) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली विज्ञापन संहिता का पालन हो ।
- (19) पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) की रिपोर्ट सभी जगह एक जैसा देगा - बोर्ड को दी जाने वाली जानकारी (किए जाने वाले डिस्क्लोज़र) में, अपनी प्रचार-सामग्री में, ग्राहकों को दी जाने वाली रिपोर्टों में और अपनी वेबसाइट पर ।
- (20) पोर्टफोलियो प्रबंधक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क का पालन करेगा ।
- (21) पोर्टफोलियो प्रबंधक, इन विनियमों और इनके तहत समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों (सर्कुलर्स) के अनुसार, ग्राहकों के फंड और उनके शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के प्रबंधन के लिए एक नीति बनाएगा, जो लिखित में हो ।
- (22) पोर्टफोलियो प्रबंधक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ़ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] में दी हुई

आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) के आधार पर अपने लिए आचार संहिता बनाएगा ।

(23) पोर्टफोलियो प्रबंधक ऐसी कोई दूसरी जिम्मेदारी भी निभाएगा, जो भी बोर्ड समय-समय पर उसे सौंपे ।

17. ग्राहकों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन आदि

(1) निवेश संबंधी नियम और सीमाएँ:

- (क) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक से जो भी पैसा या शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) ले, उनका निवेश या प्रबंधन वह ग्राहक के साथ किए गए करार (एग्रीमेंट) के अनुसार ही करे ।
- (ख) पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने ग्राहकों के फंड का निवेश, अपने ग्राहक की ओर से, इक्विटी शेयरों के आई.पी.ओ. (इनीशियल पब्लिक ऑफर), डैट सिक्यूरिटीज़ के प्राइमरी मार्केट के जरिए लाए गए इश्यू, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट (सूचीबद्ध) हो चुके या ट्रेड होने वाले शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़), मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंडों की यूनिटों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले दूसरे शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में करेगा और इनमें निवेश करने की सलाह देगा ।
- (ग) डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक और नॉन-डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने ग्राहकों के फंड दूसरे देशों के उन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करेगा और उसी तरह से निवेश करेगा जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।
- (घ) ग्राहकों को डिस्क्रेशनरी सेवाएँ देने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधक या नॉन-डिस्क्रेशनरी सेवाएँ देने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधक अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़ में निवेश कर सकेगा या फिर सलाहकार सेवाएँ देने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधक अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़ में निवेश करने की सलाह दे सकेगा । हालाँकि, इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सीमाओं और शर्तों आदि का पालन करना होगा ।
- (ङ) ग्राहकों को डिस्क्रेशनरी सेवाएँ देने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधक या नॉन-डिस्क्रेशनरी सेवाएँ देने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकेगा

या फिर सलाहकार सेवाएँ देने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधक अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़ में निवेश करने की सलाह दे सकेगा । हालाँकि, इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सीमाओं और शर्तों आदि का पालन करना होगा ।

- (च) पोर्टफोलियो प्रबंधक 'अत्यधिक निवेश करने वाले अक्रेडिटिड निवेशक' के समस्त ए.यू.एम. (असेट अंडर मैनेजमेंट) का निवेश अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़ में करने के सिलसिले में डिस्केशनरी सेवाएँ या नॉन-डिस्केशनरी सेवाएँ दे सकेगा या फिर सलाहकार सेवाएँ दे सकेगा । हालाँकि, इस बात का जिक्र डिस्कलोज़र डॉक्यूमेंट में तथा ग्राहक और पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच तय हुई शर्तों में स्पष्ट रूप से करना होगा ।
- (छ) पोर्टफोलियो प्रबंधक म्यूचुअल फंडों में केवल डाइरेक्ट प्लान के जरिए ही निवेश कर सकेगा, और वह वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) से संबंधित किसी भी तरह की फीस ग्राहक से नहीं लेगा ।
- (ज) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड ने ग्राहक के स्तर पर निवेश की जो सीमाएँ (प्रूडेंशियल लिमिट) निर्धारित की हुई हैं, उनका पालन किया जाए ।
- (झ) पोर्टफोलियो प्रबंधक को ग्राहकों का फंड अपने संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टियों) या सहयोगियों (असोसिएट्स) के उन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जिनकी रेटिंग न हुई हो ।
- (ञ) पोर्टफोलियो प्रबंधक निवेश की जो सीमा (प्रूडेंशियल लिमिट) निर्धारित की हुई है, उसके पालन पर नज़र रखने के लिए एक अलर्ट सिस्टम की व्यवस्था निर्धारित करेगा ।
- (ट) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहकों के फंड का निवेश शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की क्रेडिट रेटिंग (जो भी बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए) के आधार पर किया जाए ।
- (ठ) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के लागू होने से पहले किए गए समस्त निवेश के सिलसिले में, इस उप-विनियम के खंड (ज), (झ) और (ट) में जो प्रावधान निर्धारित किए

गए हैं उनका पालन इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छत्तीस महीनों के भीतर कर लिया जाए ।

(ड) खंड (ज), (झ), (ञ) और (ट) के प्रावधान उस पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होंगे, जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए ।

(2) पोर्टफोलियो प्रबंधकों के कुछ कामकाज पर पाबंदी

(क) पोर्टफोलियो प्रबंधक -

- i. ग्राहकों के फंड का इस्तेमाल बिल डिस्काउंटिंग के लिए, बदला फाइनेंसिंग के लिए, अथवा कारपोरेट बॉडीज़ या नॉन-कारपोरेट बॉडीज़ को उधार देने या उनके यहाँ जमा रखने (प्लेसमेंट) के लिए नहीं करेगा;
- ii. ग्राहकों के फंड का निवेश उस पोर्टफोलियो में नहीं करेगा, जिसका प्रबंधन आदि किसी दूसरे पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा किया जा रहा हो;
- iii. ग्राहक के फंड का निवेश किसी दूसरी एंटीटी की सलाह के आधार पर नहीं करेगा । हालाँकि, स्वतंत्र फंड मैनेजर के मामले में ऐसा करने की अनुमति होगी;
- iv. ग्राहकों के फंड में लेनदेन करते समय, सट्टेबाजी में शरीक नहीं होगा, यानि कि वह किसी शेयर आदि (सिक्यूरिटी) की खरीद या बिक्री के लिए ऐसा कोई लेनदेन (डेरिवेटिव में किए जाने वाले लेनदेनों को छोड़कर) नहीं करेगा जिसके सेटलमेंट के लिए शेयरों आदि (सिक्यूरिटी) की न तो डिलीवरी की जाती हो और न ही उन्हें ट्रांसफर किया जाता हो;
- v. पोर्टफोलियो अकाउंट के शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) ग्राहकों की ओर से अपने नाम पर नहीं रखेगा, न तो ग्राहकों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत और न ही किसी और तरीके से ।

(3) ट्रेडिंग करना और ट्रांसफर करना

(क) पोर्टफोलियो प्रबंधक, आम तौर पर, हर ग्राहक के लिए शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की खरीद या बिक्री अलग-अलग करेगा ।

(ख) यदि किफायत के लिहाज से खरीद या बिक्री एक साथ मिलाकर की जाए, तो ग्राहकों के बीच शेयरों आदि का आबंटन (अलॉकेशन) आनुपातिक आधार पर और दिनभर में किए गए लेनदेनों (ट्रांजैक्शन) की वेटेड एवरेज प्राइस पर किया जाएगा ।

(ग) पोर्टफोलियो प्रबंधक दिनभर की गई बिक्री या खरीद के आबंटन (अलॉकेशन) के सिलसिले में कोई ओपन पोजीशन नहीं रखेगा ।

(घ) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के खाते में बाजार की व्यवस्था से हटकर ट्रांसफर (ऑफ-मार्केट ट्रांसफर) नहीं करेगा । हालाँकि, नीचे बताए गए मामलों में वह ऐसा कर सकेगा -

- i. ग्राहक के अपने सौदों (ट्रेड) के सेटलमेंट के मामले में;
- ii. ग्राहकों की अपनी पोजीशनों के लिए मार्जिन / कोलैटरल देने के मामले में;
- iii. इन विनियमों के अनुसार अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़ में लेनदेन (डीलिंग) करने के मामले में;
- iv. हर लेनदेन (ट्रांजैक्शन) हेतु ग्राहक की विशेष सहमति लेकर;
- v. ऐसी किसी अन्य वजह से, जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।

(ङ) पोर्टफोलियो प्रबंधक हर ग्राहक (क्लाइंट) के फंड तथा शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के पोर्टफोलियो को अलग-अलग रखेगा और उन्हें अपने फंड तथा शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) से भी अलग रखेगा, और वह ग्राहकों के फंड तथा शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को संभालकर रखने के लिए जिम्मेदार होगा, और ऐसा वह उसी तरह करेगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए या बोर्ड द्वारा इस संबंध में जो शर्तें निर्धारित की जाएँ ।

(च) इस उप-विनियम के खंड (ड) का प्रावधान कैश मैनेजमेंट के लिहाज से पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा ग्राहक के फंड को थोड़े समय के लिए लिक्विड म्यूचुअल फंडों में लगाए जाने के मामले में लागू नहीं होगा। हालाँकि, इस संबंध में बोर्ड द्वारा लगाई गई पाबंदियाँ तो लागू रहेंगी ही।

(छ) यदि शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) उधार देने के संबंध में ग्राहक ने लिखित में मंजूरी दी हो, तो पोर्टफोलियो प्रबंधक शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को उधार दे सकेगा।

(4) समय से पहले पैसा या शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) निकालना:

(क) ग्राहक नीचे बताई हुई परिस्थितियों में, कॉण्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने से पहले ही, अपना पैसा या शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) निकाल सकेगा, फिर चाहे करार (एग्रीमेंट) की शर्तें कुछ भी रही हों:

- i. अगर पोर्टफोलियो प्रबंधक या ग्राहक अपनी इच्छा से या अनिवार्य रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ देना या लेना बंद कर दे;
- ii. अगर बोर्ड पोर्टफोलियो प्रबंधक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द कर दे; या
- iii. अगर पोर्टफोलियो प्रबंधक दिवालिया हो जाए या उसका लिक्विडेशन हो जाए।

18. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ लेने वाला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पोर्टफोलियो प्रबंधक की सेवाएँ ले सकेगा।

19. कस्टोडियन की नियुक्ति

हर पोर्टफोलियो प्रबंधक उन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के संबंध में कस्टोडियन की नियुक्ति करेगा, जिनका प्रबंधन आदि वह करता हो। हालाँकि, यह प्रावधान उस पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में लागू नहीं होगा, जो केवल सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता हो।

20. बही-खाते, रिकॉर्ड आदि संभालकर रखना

- (1) हर पोर्टफोलियो प्रबंधक निम्नलिखित बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज संभालकर रखेगा, अर्थात् -
 - (क) प्रत्येक लेखा अवधि (अकाउंटिंग पीरियड) की समाप्ति पर बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) की प्रति;
 - (ख) प्रत्येक लेखा अवधि के लाभ और हानि के खाते (प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट) की प्रति;
 - (ग) प्रत्येक लेखा अवधि के खातों के संबंध में ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की रिपोर्ट की प्रति;
 - (घ) वित्तीय स्थिति का विवरण; और
 - (ङ) ऐसे कोई दूसरे दस्तावेज, जो बोर्ड रखने के लिए कहे ।
- (2) मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) को निवेश के हर लेनदेन (ट्रांजैक्शन) या की गई हर सिफारिश के ऐसे रिकॉर्ड कागजी रूप में या डिजिटल रूप में संभालकर रखने होंगे, जिनमें वे आँकड़े और तथ्य दिए हुए हों जिससे यह जाहिर हो सके कि निवेश के संबंध में निर्णय किस आधार पर लिया गया था ।
- (3) हर पोर्टफोलियो प्रबंधक बोर्ड को वह जगह और पता बताएगा, जहाँ बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज संभालकर रखे जाते हों ।
- (4) उप-विनियम (1) में बताए गए बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अलावा, हर पोर्टफोलियो प्रबंधक, प्रत्येक लेखा अवधि के समाप्त होने के बाद, बोर्ड के पास पिछले पाँच लेखा वर्षों के बैलेंस शीट (तुलन-पत्र), लाभ और हानि के खाते (प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट) और ऐसे दूसरे दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा, जब कभी बोर्ड उन्हें देने को कहे ।

21. नेटवर्थ का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

हर पोर्टफोलियो प्रबंधक बोर्ड के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया नेटवर्थ का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जब कभी बोर्ड उसे देने को कहे ।

22. बही-खाते, रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज संभालकर रखना

इस अध्याय में जिन बही-खातों और दूसरे रिकॉर्डों एवं दस्तावेजों का जिक्र किया गया है, उन्हें पोर्टफोलियो प्रबंधक कम से कम पाँच वर्षों की अवधि तक संभालकर रखेगा।

23. लेखा-जोखा और लेखापरीक्षा (ऑडिट)

- (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक हर ग्राहक के खाते अलग-अलग रखेगा।
- (2) ग्राहकों से प्राप्त फंड, निवेशों या विनिवेशों (डिसिन्वेस्टमेंट), ग्राहक के खाते में हुए सभी क्रेडिट जैसे ब्याज, लाभांश (डिविडेंड), बोनस, या निवेश करने की वजह से मिला कोई दूसरा फायदा (बेनिफिशियल इंटरैस्ट) और खर्चों के संबंध में किए गए डेबिट, यदि कोई हों, का लेखा-जोखा सही तरह से रखा जाएगा और उनके ब्यौरे ग्राहक के खाते में सही तरह से दर्शाए जाएंगे।
- (3) आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के प्रावधानों के अनुसार 'स्रोत पर काटे गए कर' (टी.डी.एस.) को पोर्टफोलियो अकाउंट में दर्ज किया जाएगा।
- (4) बही-खातों का ऑडिट (की लेखापरीक्षा) हर वर्ष योग्यताप्राप्त (क्वालिफाइड) ऑडिटर से करवाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोर्टफोलियो प्रबंधक ने अकाउंटिंग की सही पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ अपनाई हैं, और यह कि पोर्टफोलियो प्रबंधक ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया है, और साथ ही इस आशय का एक प्रमाणपत्र बोर्ड के पास (अगर कहा जाए) पोर्टफोलियो प्रबंधक की लेखा अवधि (अकाउंटिंग पीरियड) समाप्त होने की तारीख से छह महीनों के भीतर, प्रस्तुत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के सिलसिले में, शब्दों "योग्यताप्राप्त ऑडिटर" का अर्थ वही होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 के में इसके लिए दिया हुआ है।

- (5) पोर्टफोलियो प्रबंधक के पोर्टफोलियो अकाउंट्स का ऑडिट हर वर्ष एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाया जाएगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक

प्रति ग्राहक को दी जाएगी ।

- (6) ग्राहक अपने लेनदेनों (ट्रांजैक्शन्स) से जुड़े पोर्टफोलियो प्रबंधक के बही-खातों का ऑडिट करवाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति कर सकेगा, और पोर्टफोलियो प्रबंधक ऑडिट के दौरान उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सहयोग करेगा ।

24. ग्राहक (क्लाइंट) को दी जाने वाली रिपोर्टें

- (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक, कॉण्ट्रैक्ट में तय की गई शर्तों के अनुसार, समय-समय पर ग्राहक को रिपोर्ट देगा, किंतु यह रिपोर्ट तीन महीनों के भीतर देनी होगी और ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर भी देनी होगी । इस रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी, अर्थात् -

- (क) पोर्टफोलियो में क्या-क्या है और उसका मूल्य कितना है, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) और वस्तुओं (गुड्स) के विवरण, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की संख्या, पोर्टफोलियो में रखे गए हर शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) का मूल्य, वस्तुओं (गुड्स) की यूनिटें, वस्तुओं का मूल्य, नकदी शेष और पोर्टफोलियो का कुल मूल्य - रिपोर्ट की तारीख तक की स्थिति के अनुसार;
- (ख) रिपोर्ट की अवधि के दौरान किए गए लेनदेन (ट्रांजैक्शन), जिसमें लेनदेन की तारीख और खरीद एवं बिक्री के ब्यौरे शामिल हैं;
- (ग) ब्याज, लाभांश (डिविडेंड), बोनस शेयरों, राइट्स शेयरों आदि के रूप में उस अवधि के दौरान मिले फायदे (बेनिफिशियल इंटरेस्ट);
- (घ) ग्राहक (क्लाइंट) के पोर्टफोलियो के प्रबंधन में हुए खर्चे;
- (ङ) उस जोखिम के ब्यौरे जिसकी आशंका पोर्टफोलियो प्रबंधक को पहले से हो, और जिन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने या उन्हें बेचकर उनमें से पैसा निकालने (डिसइन्वेस्टमेंट) के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधक ने सुझाव दिए हों उनसे जुड़े जोखिम के ब्यौरे;
- (च) कूपनों के भुगतान में हुई चूक या अंडरलाइंग डैट सिक्यूरिटी से संबंधित भुगतानों में हुई किसी दूसरी चूक के ब्यौरे और रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग कम करके डिफॉल्ट रेटिंग (अगर दी गई हो), दिए जाने से संबंधित ब्यौरे;

- (छ) किसी ग्राहक विशेष के संबंध में डिस्ट्रीब्यूटर (डिस्ट्रीब्यूटर्स) को अदा किए गए कमीशन के ब्यौरे ।
- (2) उप-विनियम (1) में जिस रिपोर्ट का जिक्र है, वह रिपोर्ट पोर्टफोलियो प्रबंधक की वेबसाइट पर डलवाई जा सकेगी, जिसे केवल वही ग्राहक देख सकेगा जिसकी वह रिपोर्ट हो ।
- (3) कॉण्ट्रैक्ट समाप्त हो जाने पर, पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक को ब्यौरेवार हिसाब-किताब देगा, और ग्राहक के खाते का सेटलमेंट उसी तरह करेगा जैसा कॉण्ट्रैक्ट में तय किया गया हो ।
- (4) ग्राहक को पोर्टफोलियो प्रबंधकों से अपने पोर्टफोलियो के ब्यौरे प्राप्त करने का अधिकार होगा।

25. ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाना

पोर्टफोलियो प्रबंधक ऑडिटर की रिपोर्ट में बताई गई खामियों को दूर करने के लिए, ऑडिटर की रिपोर्ट [जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 23(4) में किया गया है] की तारीख से दो महीनों के भीतर, कदम उठाएगा ।

26. बोर्ड को जानकारी देना (डिस्कलोजर करना)

बोर्ड, जरूरत पड़ने पर कभी भी, पोर्टफोलियो प्रबंधक से कोई भी जानकारी देने (डिस्कलोजर करने) के लिए कह सकेगा, और ऐसी जानकारी में निम्नलिखित जानकारी भी शामिल हो सकती है -

- (क) पोर्टफोलियो के प्रबंधन से संबंधित विवरण;
- (ख) पहले प्रस्तुत की गई जानकारी या प्रस्तुत किए गए विवरणों में हुआ कोई बदलाव, जिसका असर प्रदान किए गए प्रमाणपत्र पर पड़ सकता हो;
- (ग) उन ग्राहकों के नाम, जिनके पोर्टफोलियो का उसने प्रबंधन किया हो;
- (घ) नेटवर्थ के प्रावधान (जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 4(क)(iv) में है) से संबंधित विवरण ।

27. अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) की नियुक्ति

- (1) हर पोर्टफोलियो प्रबंधक अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम (एक्ट), नियमों और बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विनियमों

(रेग्यूलेशन्स), अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स), अनुदेशों, आदि के पालन पर नज़र रखने के लिए और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

- (2) अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले पात्रता के पैमानों पर खरा उतरेगा ।
- (3) उप-विनियम (1) में अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) की जो भूमिका बताई गई है, वह न तो इन विनियमों के विनियम 4(ख)(i) के अनुसार नियुक्त किए गए मुख्य अधिकारी को सौंपी जाएगी और न ही इन विनियमों के विनियम 4(ख)(ii) के अनुसार नियुक्त किए गए पोर्टफोलियो प्रबंधक के किसी कर्मचारी को ।
- (4) यदि अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) की नज़र में यह आए कि कहीं प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है, तो वह खुद से ही बोर्ड को तुरंत सूचित करेगा ।

28. विवाद सुलझाने की व्यवस्था

- (1) यदि किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में निवेशकों तथा उस पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना भी शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।
- (2) बोर्ड उतने समय के भीतर और उस तरह से शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किसी बॉडी कारपोरेट को मान्यता भी प्रदान कर सकेगा, जैसा बताया जाए ।

अध्याय - VI

म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश करने हेतु पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रूट (प्रिम)

29. लागू होना

(1) इस अध्याय के प्रावधान प्रिम पर लागू होंगे ।

(2) नीचे बताए गए प्रावधानों और उनके तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों और परिपत्रों (सर्कुलर्स) को छोड़कर, इन विनियमों के दूसरे सभी प्रावधान, *जरूरी बदलावों के साथ*, प्रिम पर लागू होंगे, जब तक कि इन विनियमों के दूसरे सभी प्रावधानों का संदर्भ कुछ और न हो या वे इस अध्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों, तब तक -

- (क) विनियम 4(क) के खंड (ii), (iii) और (iv);
- (ख) विनियम 4(ख) के खंड (i) और (ii);
- (ग) विनियम 6(4);
- (घ) अध्याय - III;
- (ङ) अध्याय - IV;
- (च) विनियम 16 के उप-विनियम (3), (17) और (20);
- (छ) विनियम 17(1) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (झ), (ट);
- (ज) विनियम 17(3)(घ) के खंड (ii) और (iii)

30. प्रिम का रजिस्ट्रेशन और उनके कामकाज का खाका

(1) आवेदक इस अध्याय के तहत प्रिम की सेवा प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा, हालाँकि, इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन तो करना ही होगा ।

(2) जो पहले से ही पोर्टफोलियो प्रबंधक हो और वह प्रिम की सेवा प्रदान करना चाहता हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकेगी । हालाँकि, उसे इस संबंध में अलग निवेश नीतियों (इनवेस्टमेंट अप्रोच) के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन तो करना ही होगा ।

31. पात्रता के पैमाने

विनियम 30(1) के तहत पोर्टफोलियो प्रबंधक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) प्रदान करने के उद्देश्य से, आवेदक को निम्नलिखित पैमानों पर खरा उतरना होगा:

(1) पात्रता के पैमाने और बुनियादी सुविधाएँ:

क्र.सं.	प्रावधान	विवरण
(i)	बुनियादी सुविधाओं के बारे में	आवेदक के पास पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सही ढंग से कार्य आदि करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) हों, जैसे कि कार्यालय हेतु पर्याप्त स्थान हो, पर्याप्त उपकरण हों, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों ।
(ii)	मुख्य नियुक्तियों के बारे में	आवेदक ने एक मुख्य अधिकारी और एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) नियुक्त किया हो ।
(iii)	नेटवर्थ के बारे में	(क) आवेदक की नेटवर्थ जब तक प्रमाणपत्र मान्य रहे, तब तक हमेशा कम से कम दो करोड़ रुपये बनी रहे । (ख) इस विनियम के अनुसार जितनी नेटवर्थ होनी जरूरी है, उतनी नेटवर्थ आवेदक की पूरी तरह से अलग से होनी चाहिए, और उसका संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशनस) और अधिनियमों (एक्ट्स) के तहत आवेदक की दूसरी कारोबारी गतिविधियों में लगी हुई पूँजी से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए । (ग) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके लिए कम से कम जितनी नेटवर्थ होनी जरूरी है उसका कम से कम दस प्रतिशत हिस्सा लिक्विड असेट्स में लगा हो और जिन पर कोई ऋण-भार न हो । लिक्विड असेट में शामिल हैं - नकद में रखा गया पैसा, अनुसूचित

		वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों) के यहाँ रखे बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), ट्रेजरी बिल (खजाना बिल), सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित रेपो, म्यूचुअल फंड स्कीमों की लिक्विड फंड की यूनितें तथा ओवरनाइट फंड की यूनितें और बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट ।
--	--	---

(2) मुख्य अधिकारी की योग्यताएँ और अनुभव:

क्र.सं.	भूमिका	शिक्षा और प्रमाणपत्र	अनुभव
(i)	मुख्य अधिकारी	(क) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों; अथवा कोई व्यावसायिक योग्यता हो जैसे – यूएसए के सीएफए इंस्टीट्यूट से सीएफए चार्टर, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट, या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से कंपनी सेक्रेटरी, या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो; और (ख) बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाने वाला एन.आई.एस.एम. का संबंधित और मान्य प्रमाणपत्र हो	सिक्यूरिटीज़ मार्केट के क्षेत्र से जुड़े कार्यों में कम से कम दे वर्षों का अनुभव हो, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधक, स्टॉक ब्रोकर, निवेश सलाहकार (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र), रिसर्च एनालिस्ट (अनुसंधान विश्लेषक), म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रिब्यूटर के यहाँ या फिर फंड मैनेजर के रूप में कार्य करने का अनुभव शामिल है

32. किन-किन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की अनुमति है

पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के फंड का निवेश केवल भारत के म्यूचुअल फंडों के डाइरेक्ट प्लान

में ही करेंगे, जिनमें इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ई.टी.एफ.) और विशेष निवेश फंड (एस.आई.एफ.) भी शामिल हैं ।

33. ग्राहकों को कम से कम कितना निवेश करना होगा

- (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक किसी एक ग्राहक से पच्चीस लाख रुपये से कम के फंड या उससे कम मूल्य के शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) स्वीकार नहीं करेगा या फिर दोनों ही मिलाकर पच्चीस लाख रुपये से कम के स्वीकार नहीं करेगा ।
- (2) करार (एग्रीमेंट) की शुरुआती अवधि पूरी (की मैच्यूरिटी) हो जाने के बाद भी यदि पोर्टफोलियो को जारी रखा जाता है, तो उसे नया निवेश माना जाएगा ।

34. दूसरी शर्तें और पाबंदियाँ

बोर्ड के लिए ऐसी कुछ और शर्तें भी निर्धारित कर सकेगा [जैसे ग्राहकों के खातों को अलग-अलग रखने के संबंध में, रिकॉर्ड संभालकर रखने के संबंध में, फीस के संबंध में, पोर्टफोलियो प्रबंधक के सहयोगियों (असिसिएट) में निवेश की सीमाओं के संबंध में], जो भी इन विनियमों को कारगर ढंग से अमल में लाने ठीक समझी जाए ।

अध्याय - VII

निरीक्षण और अनुशासनिक कार्यवाहियाँ

35. निरीक्षण करने का बोर्ड का अधिकार

बोर्ड, नीचे बताए गए किसी भी उद्देश्य से, पोर्टफोलियो प्रबंधक के बही-खातों, रिकॉर्ड और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा -

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बही-खाते और दूसरे रिकॉर्ड / दस्तावेज उसी तरह संभालकर रखे जा रहे हैं, जैसा बताया गया है;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम (एक्ट), नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स)

के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है;

- (ग) पोर्टफोलियो प्रबंधक के कामकाज से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में निवेशकों, दूसरे पोर्टफोलियो प्रबंधकों या किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की तहकीकात करने के लिए; और
- (घ) सिक्कुरिटीज़ मार्केट के हित में या निवेशकों के हित में खुद से ही पोर्टफोलियो प्रबंधकों के कामकाज की तहकीकात करने के लिए ।

36. निरीक्षण की प्रक्रिया

- (1) विनियम 35 के तहत निरीक्षण करने से पहले, बोर्ड पोर्टफोलियो प्रबंधक को उसकी यथोचित सूचना (नोटिस) देगा ।
- (2) बोर्ड, निवेशकों के हित में या जनहित में, ऐसी कोई भी सूचना (नोटिस) दिए बिना भी निरीक्षण कर सकेगा, हालाँकि ऐसा करने के कारण लिखित में दर्ज करने होंगे ।
- (3) जिस पोर्टफोलियो प्रबंधक का निरीक्षण किया जा रहा हो, वह निरीक्षण के दौरान विनियम 37 में बताए गए अपने दायित्व पूरे करने के लिए बाध्य होगा ।

37. निरीक्षण के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधक के दायित्व

(1) दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने का कर्तव्य:

जिस पोर्टफोलियो प्रबंधक का निरीक्षण किया जा रहा हो, उसके हर निदेशक (डायरेक्टर), भागीदार (पार्टनर), अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष वे बहियाँ, वे खाते (अकाउंट्स) तथा वे दूसरे दस्तावेज पेश करे जो उसके पास पड़े हों (उसकी कस्टडी में हों) या जिन पर उसका नियंत्रण हो, और पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में उसके कामकाज से संबंधित विवरण तथा जानकारी निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उतने समय के भीतर प्रस्तुत करे, जितने समय के भीतर निरीक्षण प्राधिकारी प्रस्तुत करने को कहे ।

(2) परिसरों में जाने की सुविधा मुहैया कराना और रिकॉर्ड उपलब्ध कराना:

पोर्टफोलियो प्रबंधक निरीक्षण प्राधिकारी को उन परिसरों में जाने के लिए हर यथोचित सुविधा मुहैया कराएगा (एक्सेस देगा), जिनका कब्जा उस पोर्टफोलियो प्रबंधक के पास हो

या उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो, और पोर्टफोलियो प्रबंधक या ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो बहियाँ, रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा कंप्यूटर डाटा हो उनकी जाँच-पड़ताल करने हेतु भी यथोचित सुविधा प्रदान करेगा, और उन दस्तावेजों की प्रतियाँ या दूसरी सामग्री भी प्रदान करेगा, जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के लिए जरूरी हों ।

(3) जाँच-पड़ताल करना और बयान दर्ज करना:

निरीक्षण प्राधिकारी, निरीक्षण के दौरान, पोर्टफोलियो प्रबंधक के किसी मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर), निदेशक, भागीदार (पार्टनर) और कर्मचारी के बयानों की पड़ताल करने या उनके बयान दर्ज कर सकेगा ।

(4) सहायता करने का कर्तव्य:

पोर्टफोलियो प्रबंधक के हर निदेशक, भागीदार (पार्टनर), अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी को वह समस्त सहायता प्रदान करे, जैसा भी पोर्टफोलियो प्रबंधक से कहा जाए ।

38. बोर्ड के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निरीक्षण प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, बोर्ड के पास निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

39. निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन / अन्वेषण) संबंधी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

बोर्ड, निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसी कार्रवाई करेगा और ऐसे कदम उठाएगा, जो वह ठीक समझे, जिसमें सिक्यूरिटीज़ से संबंधित कानूनी प्रावधानों या उस समय लागू किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली कार्रवाई भी शामिल है ।

40. ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की नियुक्ति

- (1) निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के अलावा, बोर्ड पोर्टफोलियो प्रबंधक के बही-खातों या उसके कामकाज का निरीक्षण करने या उनकी तहकीकात (उनका इन्वेस्टिगेशन)

करने के लिए एक योग्यताप्राप्त (क्वालिफाइड) ऑडिटर को नियुक्त कर सकेगा ।

- (2) इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले ऑडिटर के पास निरीक्षण प्राधिकारी की वही शक्तियाँ होंगी जिनका जिक्र इन विनियमों के विनियम 35 में किया गया है, और पोर्टफोलियो प्रबंधक इन विनियमों के विनियम 37 में बताए गए दायित्वों का निर्वहन करेगा ।

41. निरीक्षण में होने वाले खर्चों की भरपाई

बोर्ड बही-खातों, रिकॉर्ड और दस्तावेजों के निरीक्षण या उनकी तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) में हुए खर्चों (जिनमें इस तरह किए गए निरीक्षण या की गई तहकीकात के संबंध में ऑडिटर को अदा की गई फीस की रकम आदि भी शामिल हैं) की भरपाई पोर्टफोलियो प्रबंधक से कर सकेगा ।

अध्याय - VIII

चूक के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

42. चूक (डिफॉल्ट) के मामले में कार्रवाई का दायित्व

जो पोर्टफोलियो प्रबंधक अधिनियम (एक्ट), उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या उनके तहत जारी किए गए परिपत्र (सर्कुलर) और दिशानिर्देशों (गाइडलाइंस) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करे, उसके खिलाफ सिक्यूरिटीज़ से संबंधित कानूनी प्रावधानों या उस समय लागू किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्याय - IX

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

43. विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

(1) बोर्ड, ग्राहकों के हित में या सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विकास के उद्देश्य से, इन विनियमों के किसी प्रावधान के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:

(क) ऐसा करना प्रक्रिया के लिहाज से या तकनीकी कारणों से जरूरी है;

(ख) प्रावधानों का पालन उस वजह से नहीं हो पाया, जो पोर्टफोलियो प्रबंधक के नियंत्रण से परे था; या

(ग) संबंधित प्रावधान का पालन करने की वजह से ग्राहकों को बेवजह परेशानी हो सकती है।

(2) उप-विनियम (1) के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, बोर्ड के पास एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह विस्तार से बताया जाएगा कि छूट किस आधार पर माँगी गई है, और आवेदन करते समय एक लाख रुपये की फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) भी जमा करानी होगी, जो एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए) से अदा की जाएगी।

44. इनोवेशन करने के लिए विनियमों से छूट

बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, बोर्ड द्वारा तय की गई अवधि तक (किंतु जो बारह महीनों से अधिक की नहीं होगी) सिक्यूरिटीज़ मार्केट में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए प्रोडक्ट्स (उत्पादों), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) के संबंध में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा, हालाँकि आवेदक को बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन तो करना ही होगा।

अध्याय - X

विविध

45. स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति

इन विनियमों के लागू होने को लेकर या उनके आशय को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड नोट या परिपत्र (सर्कुलर) के तौर पर स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) जारी कर सकेगा, जिनका पालन पोर्टफोलियो प्रबंधक को करना होगा।

46. पहले के प्रावधानों को निरस्त करना और उनके तहत की गई कार्रवाई पर असर न पड़ना

(1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 निरस्त हो जाएँगे।

(2) उपरोक्त विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के इस प्रकार निरस्त हो जाने पर, —

(क) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले, उनके तहत की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा की जा सकने वाली किसी बात या किसी कार्रवाई [जिसमें शामिल हैं - दिया गया रजिस्ट्रेशन या दी गई मंजूरी, ली गई फीस, निलंबित या रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन अथवा निलंबित या रद्द की गई मंजूरी, शुरू की गई न्यायनिर्णयन कार्रवाई (अडजूडिकेशन), शुरू की गई कोई जाँच या शुरू की गई कोई तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या जारी की गई कारण बताओ सूचना (शो काज़ नोटिस)] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है;

(ख) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले, उनके तहत बोर्ड के पास किए गए किसी आवेदन (जो बोर्ड के पास लंबित हो) के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत किया गया है;

(ग) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले उनके तहत जो कुछ भी किया गया हो उस पर, अथवा उनके तहत विधिवत रूप से की गई किसी बात आदि, उनके तहत मिले किसी किसी अधिकार या विशेषाधिकार, उनके तहत बने किसी दायित्व (ऑब्लिगेशन) या बनी किसी देनदारी (लाइबिलिटी) पर, उनके किसी उल्लंघन के संबंध में लगाई गई किसी पेनल्टी (आर्थिक दंड / शास्ति) पर, अथवा उपरोक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व (ऑब्लिगेशन), देनदारी (लाइबिलिटी) या पेनल्टी के संबंध में की गई किसी तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या की गई कानूनी कार्यवाही आदि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मानो कि वे कभी निरस्त ही न हुए हों ।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के निरस्त हो जाने के बाद, बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं भी दूसरे विनियमों (रेग्यूलेशन्स) और उनके तहत जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) या किन्हीं परिपत्रों (सर्कुलर्स) में जहाँ कहीं भी वर्ष 2020 के उन विनियमों के किसी प्रावधान का जिक्र अगर आए, तो उसके बारे में यह माना जाएगा कि इन विनियमों के ही प्रावधानों का जिक्र हो रहा है ।

पहली अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026**

[विनियम 3(1), 3(6), 7(1), 10(1), 30(1)]

फीस

1. पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा अदा की जाने वाली फीस (जैसा नीचे दी गई सारणी में बताया गया है) एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधा जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए) से अदा की जाएगी।

क्र.सं.	विवरण	फीस / शुल्क
1.	पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा दी जाने वाली आवेदन फीस	एक लाख रुपये
2.	पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा दी जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस	दस लाख रुपये
3.	मान्यता की अवधि बढ़ाने हेतु फीस (प्रत्येक तीन वर्ष में)	पाँच लाख रुपये

दूसरी अनुसूची

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026

[विनियम 14]

आचार संहिता - पोर्टफोलियो प्रबंधक

- (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने कामकाज में, अपने ग्राहकों और दूसरे पोर्टफोलियो प्रबंधकों के साथ किए जाने वाले सभी लेनदेन (डीलिंग) में ईमानदारी, निष्पक्षता और पूरी कुशलता से काम करेगा तथा निवेशकों के हित में पूरी सावधानी बरतेगा और लगन से काम करेगा ।
- (2) पोर्टफोलियो प्रबंधक को ग्राहक से निवेश हेतु जो रकम प्राप्त होगी, उसका निवेश वह, जितनी जल्दी हो सके, कर देगा और जो भी रकम ग्राहक को दी जानी हो उसे वह तुरंत ग्राहक को अदा कर देगा ।
- (3) पोर्टफोलियो प्रबंधक हमेशा अपने कामकाज का स्तर बेहतरीन बनाए रखेगा, पूरी एहतियात एवं सावधानी बरतेगा और पेशेवर के तौर पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा । पोर्टफोलियो प्रबंधक निवेश करने या किए गए निवेश में से पैसा निकालने (डिसइन्वेस्टमेंट) के संबंध में निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित करेगा कि हितों के टकराव की स्थिति न बने, या जहाँ हितों के टकराव की स्थिति बन रही हो वहाँ अपने सभी ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करेगा । वह, निष्पक्ष सेवाएँ प्रदान करते समय, ग्राहकों को इस बात की जानकारी देगा कि कहाँ-कहाँ हितों के टकराव की स्थिति बन सकती है । पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने हित को ग्राहकों के हित से ऊपर नहीं रखेगा ।
- (4) पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट के जरिए ऐसी कोई सौदेबाजी (ट्रेड) नहीं करेगा, जो ग्राहकों के हित के विरुद्ध हो ।

- (5) पोर्टफोलियो प्रबंधक ऐसा कुछ नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य आदि नहीं करेगा या अनुचित प्रतिस्पर्धा में शरीक नहीं होगा, जिससे दूसरे पोर्टफोलियो प्रबंधकों के हितों को नुकसान हो सकता हो या फिर कोई कार्य अपने हाथ में लेते समय या कोई कार्य करते समय वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो ऐसे दूसरे पोर्टफोलियो प्रबंधकों के हितों के विरुद्ध हो ।
- (6) पोर्टफोलियो प्रबंधक सेवाएँ दिए जाने के संबंध में अपनी योग्यता या अपनी क्षमता अथवा दूसरे ग्राहकों को दी गई सेवाओं के संबंध में अपनी उपलब्धियों के बारे में, ग्राहक को न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित में, बढ़ाचढ़ाकर बताएगा ।
- (7) कॉन्ट्रैक्ट किए जाने के समय, पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक से लिखित में यह जानकारी लेगा कि किस-किस बॉडी कारपोरेट से उसके हित जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वह उस बॉडी कारपोरेट की अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यू.पी.एस.आई.) हासिल कर सकता है ।
- (8) पोर्टफोलियो प्रबंधक किसी भी ग्राहक या प्रेस को अपने ग्राहक के बारे में कोई गोपनीय जानकारी (जो उसे पता चले) नहीं देगा ।
- (9) पोर्टफोलियो प्रबंधक, जहाँ भी जरूरी हो और ग्राहक के हित में हो, ग्राहकों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को ट्रांसफर करने के संबंध में और लाभांशों (डिविडेंड) का दावा करने तथा उन्हें प्राप्त करने के संबंध में, ब्याज के भुगतान के संबंध में और ग्राहक को मिलने वाले अन्य अधिकारों के संबंध में पर्याप्त कदम उठाएगा । वह ग्राहक के अनुदेश के अनुसार, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के कन्वर्ज़न के संबंध में और अधिकार पाने / अधिकारों का त्याग करने के संबंध में जरूरी कार्रवाई करेगा ।

(10) पोर्टफोलियो प्रबंधक -

- (क) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निवेशकों को सही और पर्याप्त जानकारी दी जाए और उन्हें किसी भी तरह से गुमराह न किया जाए या उनसे बढ़ाचढ़ाकर दावे न किए जाएं और साथ ही निवेश के संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले उन्हें यह अवगत करा दिया जाए की निवेश में कौन-कौन से जोखिम हो सकते हैं;
- (ख) ग्राहक की जरूरतों तथा उनके परिवेश को ध्यान में रखते हुए और पेशे से संबंधित अपनी पूरी कुशलता के साथ, ग्राहक को भरसक बेहतर से बेहतर सलाह देने की कोशिश करेगा;
- (ग) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि व्यवसाय से संबंधित सभी डीलिंग पूरी तत्परता से, प्रभावपूर्ण ढंग से और किफायती ढंग से किए जाएं ।

(11) पोर्टफोलियो प्रबंधक निम्नलिखित गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेगा -

- (क) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में बनावटी सौदेबाजी करना;
- (ख) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की कीमतों में हेराफेरी करना;
- (ग) ब्रोकरों, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों और पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) के दूसरे इंटरमीडियरियों को कीमत संवेदनशील जानकारी देना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे निवेशकों के हित को नुकसान पहुँचे ।

(12) कोई भी पोर्टफोलियो प्रबंधक या उसका कोई निदेशक, भागीदार (पार्टनर) या प्रबंधक न तो अपनी ओर से और न ही अपने सहयोगियों (असोसिएट) या परिवार के सदस्यों या नातेदारों के माध्यम से ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यू.पी.एस.आई.) के आधार पर, कंपनियों के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में कोई लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करेगा, जो उन्हें पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से कार्य करते समय मिली हो ।

(13) पोर्टफोलियो प्रबंधक या उसका कोई भी कर्मचारी किसी शेयर आदि (सिक्यूरिटी / प्रतिभूति) के बारे में आम जनता के लिए उपलब्ध मीडिया (फिर चाहे वह रियल टाइम वाला हो या न हो) में, सीधे-सीधे या किसी और के जरिए, कोई निवेश सलाह तब तक

नहीं देगा, जब तक ऐसी सलाह देते समय उस शेयर आदि में उसके द्वारा ली गई लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की जानकारी न दे दी जाए ।

- (14) अगर पोर्टफोलियो प्रबंधक का कोई कर्मचारी ऐसी सलाह दे रहा हो, तो वह भी ऐसी सलाह देते समय अपने परिवार के आश्रित सदस्यों और नियोक्ता (एम्प्लॉयर) के हित की जानकारी देगा, जिसके अंतर्गत उस शेयर आदि (सिक्यूरिटी) में उनके द्वारा ली गई लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की जानकारी भी शामिल है ।
- (15) पोर्टफोलियो प्रबंधक अधिनियम (एक्ट), उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) / दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) / स्कीमों का पालन करेगा ।
- (16) पोर्टफोलियो प्रबंधक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन, 2015] में दी हुई आचार संहिता का पालन करेगा ।
- (17) पोर्टफोलियो प्रबंधक पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा प्रदान किए जाने के दौरान, किसी दूसरे रजिस्टर इंटरमीडियरी की हैसियत से, ग्राहकों के निवेश संबंधी निर्णय को अनुचित तरीके से प्रभावित नहीं करेगा ।

तीसरी अनुसूची

पोर्टफोलियो प्रबंधक तथा उसके ग्राहकों के बीच के करार (एग्रीमेंट) की विषय-वस्तु

[विनियम 15]

करार (एग्रीमेंट) में नीचे दी गई बातों का जिक्र होगा -

1. पोर्टफोलियो प्रबंधक नियुक्त किए जाने का ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026 के तहत जिन क्रियाकलापों (एक्टिविटीज़) के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है उसके मद्देनज़र पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा क्या-क्या सेवाएँ प्रदान की जाएंगी, जैसे - सलाहकार सेवाएँ, निवेश प्रबंधन संबंधी सेवाएँ, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को कस्टडी में रखना, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) से जुड़े कंपनी फायदों (कारपोरेट बेनिफिट्स) पर नज़र रखना । पोर्टफोलियो प्रबंधक फिड्यूशियरी कैपेसिटी (वैश्वासिक हैसियत) से और ग्राहक के खाते के ट्रस्टी के रूप में तथा एजेंट के रूप में कार्य करेगा ।
3. कार्यो, बाध्यताओं, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का [जिनका जिक्र ग्राहक को दी जाने वाली डिस्क्रेशनरी सेवाओं और नॉन-डिस्क्रेशनरी सेवाओं के लिए अलग-अलग किया जाएगा] और नॉन-डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक को दिए जाने वाले अनुदेशों के संबंध में विशेष प्रावधानों का, जिनमें इन बातों का भी जिक्र होगा -
 - (i) अधिनियम (एक्ट), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, परिपत्रों (सर्कुलर्स) और दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) का तथा दूसरी किन्हीं अन्य कानूनी प्रावधानों / नियमों / विनियमों / दिशानिर्देशों आदि के पालन से संबंधित शर्तों का;
 - (ii) ग्राहकों को रिपोर्टें दिए जाने का;
 - (iii) प्रत्येक ग्राहक के लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) का रिकॉर्ड और उनसे संबंधित बही-खाते अलग-अलग रखने का;

- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026 के अनुसार खातों (अकाउंट्स) की ऑडिट (लेखापरीक्षा) से संबंधित प्रावधानों का;
- (v) अकाउंट्स के सेटलमेंट तथा उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का [जिसमें इस बात का भी जिक्र होगा कि कॉण्ट्रैक्ट की अवधि पूरी (मैच्यूरिटी) होने या कॉण्ट्रैक्ट पहले ही समाप्त किए जाने पर भुगतान कैसे किया जाएगा] ।

4. निवेश के उद्देश्यों और दिशानिर्देशों का -

- (i) निवेश नीति (इन्वेस्टमेंट अप्रोच) क्या होगी, किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, किन-किन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में निवेश किया जाएगा और यदि ग्राहक द्वारा किसी कंपनी या उद्योग विशेष में निवेश करने के संबंध में पाबंदी लगाई गई हो, तो उसका भी जिक्र होगा) ।
- (ii) कितनी रकम का निवेश किया जाएगा, निवेश के संबंध में क्या-क्या पाबंदियाँ लगाई गई हैं, प्रबंधन कब से कब तक किया जाएगा, पैसा कब और कैसे लौटाया जाएगा या पैसा कैसे वापस लिया जाएगा ।
- (iii) कर कैसे काटा जाएगा, जैसे कि स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) काटा जाएगा आदि ।
- (iv) इस शर्त का कि जब तक ग्राहक ने लिखित रूप में मंजूरी न दी हो, तब तक पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) गिरवी नहीं रखेगा ।

5. ग्राहक के पोर्टफोलियो के प्रबंधन आदि के संबंध में अपेक्षानुसार दी जाने वाली मंजूरी का ।

6. जोखिम से संबंधित पहलुओं का: हर तरह के निवेश से जुड़े जोखिमों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा और साथ ही निवेश से जुड़े सामान्य जोखिमों का भी जिक्र किया जाएगा ।

7. करार की अवधि का - करार में इस बात का जिक्र होगा कि करार कितने वर्षों के लिए किया गया है, करार को समाप्त करने की क्या शर्तें होंगी, समय से पहले करार को समाप्त करने और/या करार की अवधि बढ़ाए जाने की क्या शर्तें होंगी ।

8. वे शर्तें, जिनके तहत करार में बदलाव किया जा सकता हो, उसे समाप्त किया जा सकता हो और यह भी कि उसका क्या असर पड़ेगा, जैसे कि - निवेश की गई रकम का सेटलमेंट कैसे होगा, पैसा लौटाए जाने के संबंध में बाध्यताएँ क्या होंगी, आदि
- (i) पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा अपनी मर्जी से / अनिवार्य रूप से करार समाप्त करना;
- (ii) ग्राहक द्वारा अपनी मर्जी से / अनिवार्य रूप से करार समाप्त करना;
- (iii) बोर्ड या किसी दूसरे विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) द्वारा निलंबित किया जाना ।
9. शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) की कस्टडी का ।
10. इस बात का कि खाते किस प्रकार रखे जाएंगे - ग्राहकों के नाम से खाते अलग से रखे जाएंगे, जो ग्राहकों के असेट्स, उसमें किए गए नए निवेश, उनसे संबंधित आय, प्राप्त होने वाली रकम तथा भुगतानों (डिसबर्समेंट) का हिसाब करने के लिए रखे जाने जरूरी हों, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026 में जिक्र किया गया है ।
11. जितनी रकम का प्रबंधन किया जाना हो, उसमें हुए बदलाव का - उन परिस्थितियों का जिनके तहत ग्राहक पोर्टफोलियो खाते (अकाउंट्स) से नकद या शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) निकाल सकेगा या लागू शर्तों आदि के अनुसार प्रबंधन के लिए और रकम दे सकेगा । पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक की सहमति लिए बिना करार की शर्तों आदि में कोई बदलाव नहीं करेगा ।
12. जानकारी तक पहुँच (एक्सेस) प्रदान करने संबंधी प्रावधान का - [भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2026 के प्रावधानों के अनुसार] - उन प्रावधानों का जिनके अनुसार ग्राहक अपने लेनदेनों (ट्रांजैक्शन्स) से संबंधित पोर्टफोलियो प्रबंधक के ऐसे बही-खाते हासिल कर सके, जिनका ऑडिट (लेखापरीक्षा) उसके द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाई जा सके, और ग्राहक को

पोर्टफोलियो प्रबंधक से संबंधित एवं उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रावधान का । इस प्रावधान का कि किन-किन दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है और ऐसा निरीक्षण कब-कब किया जा सकता है । इस बात का भी कि ग्राहकों को हर तीन महीने में कम से कम एक बार रिपोर्टें दी जाएँ और साथ ही रिपोर्टें पोर्टफोलियो प्रबंधक की वेबसाइट पर इस प्रकार उपलब्ध करवाई जाएँ कि प्रत्येक ग्राहक केवल अपनी ही रिपोर्ट देख पाए और साथ ही ग्राहकों के अन्य अधिकारों आदि से संबंधित प्रावधानों का । इस प्रावधान का भी कि पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाले विवरणों / दस्तावेजों / रिपोर्टों से लेनदेनों (ट्रांजैक्शन्स) की सही-सही तस्वीर बयाँ हो ।

13. फीस की शर्तों आदि का - जिस क्रियाकलाप हेतु पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान की जा रही हों, उस हर क्रियाकलाप हेतु कितनी फीस एवं शुल्क लिए जाएंगे तथा उनका भुगतान कैसे किया जाएगा, फिर चाहे ऐसी सेवाएं बाहर से (आउटसोर्स) ही क्यों न ली जा रही हों । इन सेवाओं में शामिल हैं - निवेश प्रबंधन संबंधी सेवा, सलाहकार सेवाएँ तथा ट्रांसफर करने संबंधी सेवा । इसके अलावा, लेनदेन (ट्रांजैक्शन) संबंधी खर्च [जिसमें ब्रोकरेज संबंधी खर्च का अलग से जिक्र करना होगा], कस्टडी में रखने का शुल्क, नियमित रूप से दस्तावेज आदि उपलब्ध कराए जाने, खाता विवरण भिजवाए जाने से संबंधित खर्च, विविध खर्च (जो भी खर्च 5% से ज्यादा का हो, उसे अलग से दिखाना होगा) आदि कितना होगा और उनका भुगतान कैसे किया जाएगा । इस प्रावधान का भी जिक्र होगा कि पोर्टफोलियो प्रबंधक इस संबंध में ग्राहक से पहले ही अनुमति ले लेगा ।
14. बिलों से संबंधित प्रावधानों का - बिल कब-कब जारी किए जाएंगे, क्या भुगतान अग्रिम रूप से (एडवांस में) करना होगा, फीस कैसे अदा की जाएगी, क्या फीस की रकम खाते आदि से काट ली जाएगी, ऐसे कौन-से दस्तावेज होंगे जिनसे यह पता चल सकेगा कि फीस अदा की जा चुकी है ।
15. पोर्टफोलियो प्रबंधक के दायित्व का - दी गई सिफारिशों के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधक के दायित्व (गलत निर्णय लिए जाने, लापरवाही बरते जाने या जानबूझकर कोई गलत कार्य आदि किए जाने के संबंध में) क्या होंगे, और दूसरे इंटरमीडियरीज़,

ब्रोकर्स, कस्टोडियन आदि द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन या किए गए कार्यों के संबंध में पोर्टफोलियो प्रबंधक के दायित्व क्या होंगे ।

16. ग्राहक के दायित्व का - ग्राहक का दायित्व उतने तक का ही रहेगा जितना उसने निवेश किया हुआ हो ।
17. मृत्यु या दिव्यांगता (डिसेबिलिटी) संबंधी प्रावधान का - यह प्रावधान कि ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर / ग्राहक के दिव्यांग (विकलांग) हो जाने पर करार जारी रहेगा या समाप्त हो जाएगा । साथ ही, उत्तराधिकार, नामांकन, प्रतिनिधित्व आदि के प्रावधानों का भी जिक्र रहेगा ।
18. पोर्टफोलियो किसी और को सौंपे जाने (असाइनमेंट) संबंधी प्रावधान का - ग्राहक द्वारा करार किसी और को सौंपे जाने (असाइनमेंट) की क्या शर्तें होंगी ।
19. कानूनी दायरे का - करार में यह उल्लेख हो कि करार किस देश / राज्य के कानून / क्षेत्राधिकार में आता है ।
20. शिकायतों के निवारण / विवाद सुलझाने की व्यवस्था और माध्यस्थम (आर्बिट्रेशन) हेतु किए गए प्रावधानों का - सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के सिलसिले में संरक्षण प्रदान करने का या जोखिमों और हानियों का, शिकायतों के निवारण से संबंधित प्रावधानों का, विवाद सुलझाने की व्यवस्था का, माध्यस्थम (आर्बिट्रेशन) व्यवस्था का और उन परिस्थितियों का जिनके तहत इन अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है ।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./373/2026-27]

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 7th October, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PORTFOLIO MANAGERS)
REGULATIONS, 2026**

A regulation to provide for the regulatory framework for registration of portfolio managers, their operational and general obligations and responsibilities, and for matters connected therewith or incidental thereto.

F. No. SEBI/LAD-DOP/2026/322.—In exercise of the powers conferred by Section 30(1) read with section 11(1), Section 11(2)(b) and Section 12(1) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely—

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Name and effective date.

- (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026.
- (2) These regulations shall come into effect from April 1, 2027.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires—
 - (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) “accredited investor” shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(1)(ab) of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

- (c) “Alternative Investment Fund” shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
- (d) “associate” in relation to a portfolio manager, means –
- i. a body corporate in which a director or partner of the portfolio manager holds, either individually or collectively, more than twenty percent of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be; or
 - ii. a body corporate which holds, either individually or collectively, more than twenty percent of the paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be, of the portfolio manager;
- (e) “body corporate” shall have the meaning assigned to it under Section 2(11) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as amended from time to time;
- (f) “certificate” means a certificate of registration issued by the Board;
- (g) “Change in control” in case of a body corporate –
- i. whose shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulation 2(1)(e) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011;
 - ii. whose shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in Section 2(27) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (h) “chartered accountant” means a chartered accountant as defined in section 2(1)(b) of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and who has obtained a certificate of practice under section 6(1) of that Act;

- (i) “Co–investment Portfolio Manager” means a Portfolio Manager who is a Manager of a Category I or Category II Alternative Investment Fund(s) and –
- i. provides services only to the investors of such Category I or Category II Alternative Investment Fund(s); and
 - ii. makes investment only in unlisted securities of investee companies where such Category I or Category II Alternative Investment Fund(s) make investments:

Provided that the Co–investment Portfolio Manager may provide services to investors from any other Category I or Category II Alternative Investment Fund(s) which are managed by them and are also sponsored by the same Sponsor(s);

- (j) “discretionary portfolio manager” means a portfolio manager who under a contract relating to portfolio management, exercises or may exercise, complete discretion as to the investment of funds and management of the portfolio of securities of the client, as the case may be;
- (k) “eligible fund manager” shall have the same meaning as assigned to it in section 9(12) of the Income–tax Act, 2025 (30 of 2025);
- (l) “eligible investment fund” shall have the same meaning as assigned to it in section 9(12) of the Income–tax Act, 2025 (30 of 2025);
- (m) “goods” means the goods notified by the Central Government under section 2(bc) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and forming the underlying of any commodity derivative;
- (n) “Independent Fund Manager” means a fund manager who manages the portfolio of clients in affiliation with a registered portfolio manager in accordance with the terms and conditions specified by the Board;
- (o) “inspecting authority” means one or more persons appointed by the Board to exercise powers conferred under Chapter VII of these regulations;

- (p) “investee company” shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(1)(o) of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
- (q) “investment agreement” means a legally binding contract between the client and the portfolio manager defining their relationship, setting out mutual rights, liabilities, obligations and authority relating to the management of portfolio and terms and conditions as may be mutually agreed between the parties, subject to the provisions of these regulations;
- (r) “investment approach” means a broad outlay of the type of securities and permissible instruments to be invested in by the portfolio manager for the client, taking into account factors specific to clients and securities;
- (s) “large value accredited investor” means an accredited investor who has entered into an agreement with the portfolio manager for a minimum investment amount of ten crore rupees;
- (t) “Manager” shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(1)(q) of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
- (u) “net worth” means the aggregate value of paid up equity capital, securities premium account and free reserves (excluding reserves created out of revaluation) reduced by the aggregate value of accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off and any loans and advances given by Portfolio Manager including to their related parties or associates;
- (v) “NISM” means the National Institute of Securities Market established by the Board;

(w) “Non- Discretionary Portfolio manager” means a portfolio manager who under a contract relating to portfolio management, manages the funds and portfolio of securities of the client in accordance with the direction of the client;

(x) “portfolio” means the total holdings of securities and goods belonging to any person;

(y) “portfolio manager” means a body corporate, which pursuant to a contract with a client, advises or directs or undertakes on behalf of the client (whether as a discretionary portfolio manager or otherwise) the management or administration of a portfolio of securities or goods or funds of the client, as the case may be:

Provided that the Portfolio Manager may deal in goods received in delivery against physical settlement of commodity derivatives;

(z) “Portfolio Management Service Route for Investment in Mutual Fund units (PRIM)” means an investment approach which fulfills the requirements under Chapter VI of these regulations;

(aa) “principal officer” means an employee of the portfolio manager who has been designated as such by the portfolio manager and is responsible for—

(i) the decisions made by the portfolio manager for the management or administration of portfolio of securities or the funds of the client, as the case may be; and

(ii) all other operations of the portfolio manager;

(bb) "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market;

(cc) “related party” in relation to a portfolio manager means—

- (i) a director, partner or his relative;
- (ii) a key managerial personnel or his relative;
- (iii) a firm, in which a director, partner, manager or his relative is a partner;
- (iv) a private company in which a director, partner or manager or his relative is a member or director;
- (v) a public company in which a director, partner or manager of the portfolio manager is a director and holds along with his relatives, more than two per cent of its paid-up share capital;
- (vi) any body corporate whose board of directors, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director, partner or manager;
- (vii) any person on whose advice, directions or instructions a director, partner or manager is accustomed to act:

Provided that nothing in sub-clauses (vi) and (vii) shall apply to the advice, directions or instructions given in a professional capacity;

- (viii) any body corporate which is—
 - i. a holding, subsidiary or an associate company of the portfolio manager; or
 - ii. a subsidiary of a holding company to which the portfolio manager is also a subsidiary; or
 - iii. an investing company or the venturer of the portfolio manager;

Explanation. – For the purpose of this clause, “investing company or the venturer of a portfolio manager” means a body corporate whose investment in the portfolio manager would result in the portfolio manager becoming an associate of the body corporate.

- (ix) a related party as defined under the applicable accounting standards;
- (x) such other person as may be specified by the Board:

Provided that –

- i. any person or entity forming a part of the promoter or promoter group of the listed entity; or
- ii. any person or any entity, holding equity shares of ten per cent or more in the listed entity either directly or on a beneficial interest basis as provided under section 89 of the Companies Act, 2013, at any time, during the immediate preceding financial year;

shall be deemed to be a related party;

(dd) “Scheduled Commercial Bank” means any bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(ee) “securities lending” means securities lending as per the Securities Lending Scheme, 1997 specified by the Board;

(ff) “Sponsor” shall have the same meaning as assigned to it in regulation 2(1)(w) of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR REGISTRATION OF PORTFOLIO MANAGERS

3. Application for registration of portfolio managers and payment of fees.

- (1) Any entity who intends to act as a portfolio manager shall be required to submit an application to the Board in the form specified by the Board, along with a non-refundable application fee as specified in the First Schedule.
- (2) The Board may require the applicant to furnish further information or clarification regarding matters relevant to its activity of a portfolio manager for the purpose of disposal of the application.
- (3) An application which is incomplete in any respect shall be liable to be rejected.
- (4) Prior rejecting any application under sub-regulation (3), the applicant shall be given an opportunity to remove objections indicated by the Board, within such time specified, which shall not be less than thirty calendar days.
- (5) The Board on being satisfied that the applicant fulfils all the requirements as specified under regulation 4 of these regulations shall send an intimation to the applicant.
- (6) The applicant shall pay registration fees as specified in First Schedule, within thirty calendar days of receiving intimation from the Board.
- (7) Upon receipt of registration fees in accordance with sub-regulation (6), the Board may grant a certificate of registration in the format as specified by the Board.
- (8) The certificate of registration granted under these regulations shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Board.

4. Consideration of application.

For considering the grant of certificate of registration to the applicant, the Board shall take into account all matters which it deems relevant to the activities relating to portfolio management including the following –

(a) Eligibility Criteria and Infrastructure Requirements:

S. no	Requirements	Description
(i)	Entity Type	Applicant shall be a body corporate.
(ii)	Infrastructure	(a) The applicant has necessary infrastructure like adequate office space, equipment, dealing room and manpower to effectively discharge the activities of a portfolio manager. (b) The requirement of having a dealing room shall not be applicable for such portfolio managers as may be specified by the Board from time to time.
(iii)	Key Personnel	The applicant has appointed a principal officer, compliance officer and one additional employee.
(iv)	Net worth	(a) The applicant shall maintain minimum net worth requirement of at least five crore rupees. (b) The net worth requirement under this regulation shall be fulfilled separately and independently, of the capital adequacy requirements, if any, for each activity undertaken by it under the relevant Acts and Regulations. (c) The applicant shall ensure to deploy at least ten percent of minimum net worth requirement in liquid assets which are unencumbered and shall include cash, bank deposits with scheduled commercial banks, money market instruments, Government securities, treasury bills, Repo on Government securities, units of liquid and overnight mutual fund schemes and any other instruments as specified by the Board.

		(d) Existing portfolio manager shall be required to comply with the requirement within twelve months from the commencement of these regulations.
(v)	Fit and Proper requirement for applicant	The applicant is a fit and proper person in accordance with Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.
(vi)	Investor Interest	Grant of certificate to the applicant is in the interest of investors.

(b) Personnel Qualification and Experience:

S. no.	Role	Education	Certification	Experience
(i)	Principal Officer	Graduation from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognized foreign university; or CFA Charter from CFA Institute, USA or Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India or Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India or Cost and Management Accountant from the Institute of Cost Accountants of India; and	The principal officer shall obtain relevant NISM certification as specified by the Board from time to time and ensure the continuous validity of such certification.	Experience of at least five years in related activities in the securities market including with a portfolio manager, stock broker, investment advisor, research analyst or as a fund manager; Out of the above five years, at least two years of relevant experience shall be in portfolio management or investment advisory services or in the areas related to fund management.
(ii)	Employee (at least one person)	Graduation from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a foreign university.	No specific certification requirement.	An experience of at least two years in related activities in the securities market including with a portfolio manager, stock broker, investment advisor, research analyst or as a fund manager;

(iii)	Any employee or Independent Fund Manager engaged by portfolio manager with decision making authority relating to fund management	Any employee of the Portfolio Manager or Independent Fund Manager engaged by Portfolio Manager who has decision making authority related to fund management shall have the same minimum qualifications, experience and certification as specified for the Principal Officer.
-------	--	--

5. Procedure where certificate is refused.

- (1) The Board may refuse the grant of certificate to the applicant after giving a reasonable opportunity of being heard and shall, within thirty days of such refusal, communicate the same along with the reasons for refusal to the applicant.
- (2) An applicant may apply to the Board for reconsideration of its decision of refusal to grant certificate within thirty days from the date of receipt of such communication.
- (3) The Board shall reconsider such application and communicate its decision as soon as possible in writing to the applicant.

6. Conditions of certificate of registration.

The certificate of registration granted under regulation 3(7) of these regulations shall, *inter alia*, be subject to the following conditions, namely—

- (1) the portfolio manager shall abide by the provisions of the Act and these regulations;
- (2) the portfolio manager shall promptly notify the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted;

- (3) the portfolio manager shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within twenty-one calendar days of the date of the receipt of the complaint and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received;
- (4) the portfolio manager shall maintain the net worth specified in regulation 4(a)(iv) of these regulations at all times during the period of the certificate;
- (5) the portfolio manager shall obtain prior approval of the Board in case of change in control in such manner as may be specified by the Board;
- (6) the portfolio manager shall be a fit and proper person as specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
- (7) the portfolio manager shall commence its business activities within three years from the date of registration with the Board;

Explanation: For the purpose of this clause, commencement of business activity shall mean a fulfillment of such conditions, as may be specified by the Board, within the above mentioned period of three years to carry out activities of a portfolio manager.

- (8) Existing portfolio manager operating before the commencement of these regulations shall ensure to fulfill the requirement specified at clause (7) within a period of thirty six months from the date of commencement of these regulations.

7. Continuance of registration.

- (1) To keep the registration in force, a portfolio manager shall pay requisite fees specified in First Schedule, within three months prior to expiry of the block of three years for which fees has been paid.
- (2) In case where a portfolio manager fails to pay such fees, the Board may suspend the certificate and the portfolio manager shall immediately cease to carry on the activity as a portfolio manager for the entire duration of suspension.

8. Surrender of Certificate of Registration.

A portfolio manager, desirous of giving up its activity as a portfolio manager, shall apply to the Board for surrender of the certificate granted under these regulations, in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Board.

CHAPTER III ELIGIBLE FUND MANAGERS

9. Applicability

- (1) This chapter applies exclusively to eligible fund managers and their activities as portfolio managers to eligible investment funds which invest in Indian and foreign securities.
- (2) For eligible investment funds investing in Indian securities, all provisions of these regulations except the following provisions, unless the context otherwise requires or is repugnant to the provisions of this chapter, shall *mutatis mutandis* apply to eligible fund managers in relation to their activities as portfolio managers to eligible investment funds:
 - a. Clauses (a) and (b) of Regulation 15(1);
 - b. Regulation 15(2);
 - c. Regulation 15(3);
 - d. Sub-regulations (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (16), (18), (19), (20), (21) of Regulation 16;
 - e. Regulation 17(1), 17(2)(a)(iv), 17(4)(a)(i);
 - f. Regulation 19;
 - g. Regulation 23(5);
 - h. Sub-regulations (1), (2), and (3) of Regulation 24;
 - i. Third Schedule.

- (3) For eligible investment funds investing in foreign securities, only Chapter I, Chapter II and Chapter III of these regulations and the provisions of regulation 16(2) of these regulations, unless the context otherwise requires or is repugnant to the provisions of this chapter, shall apply to eligible fund managers in relation to their activities as portfolio managers to eligible investment funds.

10. Procedure

S. no	Entity Status	Mandatory Requirements to act as an Eligible Fund Manager
(1)	New applicant	An applicant who is a body corporate and intends to act as an eligible fund manager may be granted registration under regulation 3(7) of these regulations if: a) it fulfills all the conditions specified for eligible fund manager in section 9(12) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025); b) it complies with the requirements specified under Chapter II of these regulations, unless specified otherwise in this Chapter; c) it pays the fees as specified in First Schedule; and d) it provides a declaration to the Board in the format as specified by the Board.
(2)	Existing Portfolio Manager	An existing portfolio manager may act as a portfolio manager to an eligible investment fund if: a) it fulfills all the conditions specified for eligible fund manager in section 9(12) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025); and b) it intimates the Board prior to undertaking such activity and submits declarations in the format as specified by the Board.

11. Obligation and Responsibilities of Eligible Fund Managers.

(1) An eligible fund manager shall be required to –

- (a) comply with the requirements specified under section 9(12) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) or any amendment, notification, clarification, guideline issued thereunder;

- (b) offer discretionary or non-discretionary or advisory services or a combination thereof to eligible investment funds;
- (c) operate in accordance with mutually agreed contract with the eligible investment funds;
- (d) provide all material disclosures to eligible investment funds;
- (e) segregate funds and securities of each eligible investment fund;
- (f) segregate the funds and securities of eligible investment funds from those of its other clients;
- (g) maintain and segregate its books and accounts pertaining to its activities as a portfolio manager to eligible investment funds and other clients;
- (h) appoint a custodian for making investment in India;
- (i) the requirement of compliance with sub-clause (h), shall not apply in case an eligible investment fund has already appointed a custodian under the applicable act or regulations;
- (j) keep the funds of eligible investment funds in scheduled commercial banks;
- (k) the requirement of compliance with sub-clause (j), shall not apply in case an eligible investment fund does not intend to invest in Indian securities;
- (l) adhere to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 for making investment in Indian securities;
- (m) charge fees on mutually agreed terms;
- (n) maintain any additional records as may be specified by the Board and disclose the same to the Board as and when required;
- (o) provide monthly reports in the format specified by the Board;
- (p) ensure compliance with the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and rules and regulations made thereunder;
- (q) abide by the provisions in these regulations and circulars / guidelines issued by the Board from time to time.

CHAPTER IV

CO-INVESTMENT PORTFOLIO MANAGERS

12. Specific provisions for co-investment portfolio managers.

- (1) The co-investment Portfolio Manager may designate a member of the Key Investment Team of the manager as the principal officer who fulfils either of the criteria specified in Regulation 4(g) of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.
- (2) Where a member of the Key Investment Team of the manager is appointed as the principal officer under this regulation, the requirement under Regulation 4(b)(i) of these regulations shall not apply to the principal officer so appointed.
- (3) In addition to provisions mentioned in Third Schedule, following conditions shall be applicable on co-investment portfolio managers –
 - (a) the terms of co-investment in an investee company by a co-investor, shall not be more favourable than the terms of investment of the Alternative Investment Fund;
 - (b) the terms of exit from the co-investment in an investee company including the timing of exit shall be identical to the terms applicable to that of exit of the Alternative Investment Fund;
 - (c) the early withdrawal of funds by the co-investors with respect to co-investment in investee companies shall be allowed to the extent that the Alternative Investment Fund has also made an exit from respective investment in such investee companies.
- (4) For requirement of calculation of performance of the portfolio manager specified in Regulation 15(2)(c)(ix) of these regulations, a co-investment portfolio manager shall calculate the performance in the manner agreed between the co-investment portfolio manager and the client.

- (5) The co-investment portfolio manager shall invest hundred percent of the assets under management in unlisted securities of investee companies where Category I and Category II Alternative Investment Funds managed by it as Manager, make investment.
- (6) For requirement of appointment of compliance officer specified in regulation 27(1) of these regulations, a co-investment portfolio manager may assign the role of compliance officer to the principal officer appointed in terms of regulation 4(b)(i) of these regulations.

13. Non-applicability of certain provisions.

All other provisions of these regulations except the following provisions, unless the context otherwise requires or is repugnant to the provisions of this chapter, shall *mutatis mutandis* apply to co-investment portfolio managers:

- (a) Regulation 4(a)(iv);
- (b) Clause (i) and (ii) of Regulation 4(b);
- (c) Regulation 6(4);
- (d) Regulation 15(2)(c)(ix) and 15(2)(h);
- (e) Regulation 16(3) and (6);
- (f) Regulation 17(4)(a)(i);
- (g) Regulation 19;
- (h) Regulation 27(1), (2) and (3);
- (i) Sub-clause (i) and (ii) of clause 8 of Third Schedule.

CHAPTER V
GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF PORTFOLIO
MANAGER

14. Code of Conduct.

Every portfolio manager shall abide by the Code of Conduct as specified in Second Schedule.

15. Contract with clients and disclosures.

(1) Agreement between the Portfolio Manager and its clients

- (a) Prior to taking up an assignment of management of funds and portfolio on behalf of a client, the portfolio manager shall enter into a written investment agreement with such client defining their relationship and set out their mutual rights, liabilities and obligations relating to management of portfolio containing the details as specified in Third Schedule.
- (b) The requirement for content of agreement as specified in Third Schedule shall not apply to the agreement between the portfolio managers and the large value accredited investors.
- (c) The portfolio manager may make investments in the securities of its related parties or its associates only after obtaining the prior consent of the client in such manner as may be specified by the Board from time to time.
- (d) The requirement for obtaining consent provided in clause (c) of this sub-regulation shall not apply to such portfolio managers as may be specified by the Board.

(2) Disclosure Document

- (a) Prior to entering into an agreement with client as referred in sub-regulation (1), the portfolio manager shall provide to the client a Disclosure Document in digital format along with a disclosure document certificate in the format as may be specified by the Board from time to time.

(b) The portfolio manager shall, upon receipt of a request from a client, provide a physical copy of the Disclosure Document without any cost.

(c) The Disclosure Document shall *inter alia* include the following –

- i. the quantum and manner of payment of fees payable by the client for each activity for which service is rendered by the portfolio manager directly or indirectly including in cases where such service is outsourced;
- ii. general and investment approach specific portfolio risks;
- iii. disclosure of related-party transactions as per accounting standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India;
- iv. details of conflicts of interest related to services offered by group companies or associates of the portfolio manager;
- v. details of investment in the securities of its related parties or associates;
- vi. details of the diversification policy of the portfolio manager;
- vii. the requirement specified in sub-clause (v) and (vi) of this sub-regulation, shall not apply to such portfolio managers as may be specified by the Board provided that the Board may specify other disclosure requirements for such portfolio managers;
- viii. the audited financial statements of the portfolio manager for the immediately preceding three years;
- ix. the performance of the portfolio manager:
 - a. the performance of a discretionary portfolio manager shall be calculated using ‘Time Weighted Rate of Return’ for the immediately preceding three years and in such cases performance indicators shall also be disclosed;
 - b. the portfolio manager may be allowed to disclose performance segregated on the basis of investment approach;

- (d) The contents of the Disclosure Document shall be certified by an independent chartered accountant, in the format as specified by the Board:
- i. at the time of grant of certificate of registration; and
 - ii. annually, within six months from the end of the financial year.
- (e) The portfolio manager shall ensure that the Disclosure Document is updated annually within six months from the end of the financial year.
- (f) In the event of any material change, the portfolio manager shall update the Disclosure Document by way of an addendum and file the Disclosure Document, along with the addendum, with the Board within fifteen calendar days of the material change.
- (g) The portfolio manager shall file with the Board a copy of the Disclosure Document along with the certification of independent chartered accountant after grant of certificate of registration before circulating to any client and every year within six months from the end of the financial year.
- (h) The portfolio manager shall ensure that the latest Disclosure Document along with addendum, if any, is available on its website at all times and as soon as registration is granted.
- (i) The portfolio manager shall disclose any material change in the Disclosure Document to the clients within fifteen calendar days of effecting the change.

(3) Charging of fees by the portfolio manager

- (a) The portfolio manager shall charge an agreed fee from the clients for rendering portfolio management services without guaranteeing or assuring, either directly or indirectly, any return and the fee so charged may be a fixed fee or a return based fee or a combination of both.
- (b) The portfolio manager shall not charge, directly or indirectly, any up-front fees from the clients.

(c) The portfolio manager shall disclose the range of fees charged under various heads in the disclosure document.

16. General responsibilities of a Portfolio Manager.

- (1) The discretionary portfolio manager shall individually and independently manage the funds of each client according to the needs of the client, in a manner which does not partake character of a Mutual Fund, whereas the non-discretionary portfolio manager shall manage the funds in accordance with the directions of the client.
- (2) The portfolio manager shall not carry out its investment management operations or execution of transactions relating to portfolio management services, outside the territory of India, except for execution of trades for investment in foreign securities.
- (3) The portfolio manager shall not accept funds or securities or a combination thereof worth less than fifty lakh rupees per client.
- (4) The requirement of minimum investment amount per client specified in sub-regulation (3), shall not apply to an accredited investor, subject to appropriate disclosures in the Disclosure Documents and the terms agreed between the client and the portfolio manager.
- (5) The portfolio manager shall ensure that all existing investments of clients made prior to the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, comply with minimum investment amount as specified in sub-regulation (3) within twelve months from commencement of these regulation.
- (6) Any renewal of portfolio on maturity of the initial period of agreement shall be deemed as a fresh investment.
- (7) The portfolio manager shall act in a fiduciary capacity with regard to the client's funds.
- (8) The portfolio manager shall segregate each client's holding in securities in separate accounts.

- (9) The portfolio manager shall keep the funds of all clients in a separate account to be maintained by it in a Scheduled Commercial Bank.
- (10) The portfolio manager shall transact in securities within the limitation placed by the client with regard to dealing in securities under the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).
- (11) The portfolio manager shall not derive any undue benefit, directly or indirectly, out of the client's funds or securities.
- (12) The portfolio manager shall not borrow funds or securities on behalf of the client.
- (13) The portfolio manager shall not lend securities held on behalf of the clients to a third person except as provided under these regulations.
- (14) The Portfolio Manager shall redress investor grievances promptly but not later than twenty-one calendar days from the date of receipt of the grievance and in such manner as may be specified by the Board from time to time.
- (15) The portfolio manager shall ensure that any person or entity involved in the distribution of its services is carrying out the distribution activities in compliance with these regulations and circulars issued thereunder from time to time.
- (16) The portfolio manager shall ensure compliance with the Investor Charter specified by the Board from time to time.
- (17) The portfolio manager shall carry out valuation of investment in securities in client's portfolio in accordance with investment valuation norms as specified by the Board from time to time.
- (18) The portfolio manager shall ensure conformity with the advertisement code as specified by the Board from time to time.
- (19) The portfolio manager shall report its performance uniformly in the disclosures to the Board, marketing materials, reports to the clients and on its website.

- (20) The portfolio manager shall comply with the performance benchmarking framework as specified by the Board from time to time.
- (21) The portfolio manager shall put in place a written down policy for management of clients funds and securities in compliance with these regulations and circulars issued thereunder from time to time.
- (22) The portfolio manager shall have a code of conduct as envisaged under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.
- (23) The portfolio manager shall comply with any other responsibility as specified by the Board from time to time.

17. Management or administration of clients' portfolio.

(1) Investment Rules and Limits:

- (a) The money or securities accepted by the portfolio manager shall be invested or managed by the portfolio manager as per the agreement with the client.
- (b) The portfolio manager shall invest and advise for investment of funds of its clients in initial public offer for equity securities, primary market issuance for debt securities, securities listed or traded on a recognized stock exchange, money market instruments, units of Mutual Funds and other securities as specified by Board from time to time, on behalf of their clients.
- (c) The discretionary and non-discretionary portfolio manager shall invest funds of its clients in such foreign securities and in such manner as maybe specified by the board from time to time.
- (d) The portfolio manager offering discretionary or non-discretionary or advisory services to the clients may invest or advise for investment in unlisted securities, subject to limits and conditions as may be specified by the Board from time to time.
- (e) The portfolio manager offering discretionary or non-discretionary or advisory services

- to the clients may invest or advise for investment in exchange traded derivative instruments, subject to limits and conditions as may be specified by the Board from time to time.
- (f) The portfolio manager may offer discretionary or non-discretionary or advisory services for investment up to hundred percent of the assets under management of the large value accredited investors in unlisted securities, subject to appropriate disclosures in the disclosure document and the terms agreed between the client and the portfolio manager.
 - (g) The portfolio manager may invest in mutual funds only through direct plans and shall not charge any kind of distribution related fees to the client.
 - (h) The portfolio manager shall ensure compliance with prudential limits as specified by the Board at the client level.
 - (i) The portfolio manager shall not be allowed to invest clients' funds in unrated securities of its related parties or associates.
 - (j) The portfolio manager shall put in place an alert based system to monitor compliance with the prudential limits on investments.
 - (k) The portfolio manager shall ensure investment of its clients' funds on the basis of the credit rating of securities as specified by the Board.
 - (l) The portfolio manager shall ensure that all investments made prior to commencement of Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, shall comply with the requirements provided in clause (h), (i) and (k) of this sub-regulation within thirty-six months of commencement of these regulations.
 - (m) The requirements provided in clause (h), (i), (j) and (k) shall not apply to such portfolio manager as maybe specified by the Board.

(2) Restriction on certain activities of portfolio managers

(a) The portfolio manager shall not –

- i. deploy the clients' funds in bill discounting, badla financing or for the purpose of lending or placement with corporate or non–corporate bodies;
- ii. invest the clients' funds in the portfolio managed or administered by another portfolio manager;
- iii. invest client's fund based on the advice of any other entity except as permitted for independent fund manager;
- iv. indulge in speculative transactions, while dealing with clients' funds, i.e, it shall not enter into any transaction for purchase or sale of any security which is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of security except the transactions in derivatives;
- v. hold the securities belonging to the portfolio account, in its own name on behalf of its clients either by virtue of contract with clients or otherwise.

(3) Trading and Transfer

- (a) The portfolio manager shall, ordinarily purchase or sell securities separately for each client.
- (b) In the case of aggregation of purchases or sales for economy of scale, *inter se* allocation shall be done on a *pro rata* basis and at weighted average price of the day's transactions.
- (c) The portfolio manager shall not keep any open position in respect of allocation of sales or purchases effected in a day.
- (d) The portfolio manager shall not execute off market transfers in client's account except –
- i. for settlement of the clients' own trades;
 - ii. for providing margin/ collateral for clients' own positions;
 - iii. for dealing in unlisted securities in accordance with these regulations;

- iv. with specific consent of the client for each transaction;
- v. for any other reason specified by the Board from time to time.

(e) The portfolio manager shall segregate each clients' funds and portfolio of securities and keep them separately from its own funds and securities and be responsible for safekeeping of clients' funds and securities, subject to such conditions and in the manner as specified by the board.

(f) The requirement specified in clause (e) of this sub-regulation shall not apply to short term deployment of client's funds by the portfolio manager in liquid mutual funds for the purpose of cash management, subject to the restrictions as may be specified by the Board.

(g) The portfolio manager may, subject to authorization by the client in writing, participate in securities lending.

(4) Early Withdrawal:

(a) The client has the right to withdraw funds and securities before the maturity of the contract, irrespective of the terms of the agreement, under following circumstances:

- i. voluntary or compulsory termination of portfolio management services by the portfolio manager or the client;
- ii. suspension or cancellation of the certificate of registration of the portfolio manager by the Board; or
- iii. bankruptcy or liquidation of the portfolio manager.

18. Foreign Portfolio Investor availing portfolio management services.

Foreign portfolio investors may avail the services of a portfolio manager.

19. Appointment of custodian.

Every portfolio manager, other than a portfolio manager who provides only advisory services, shall appoint a custodian in respect of securities managed or administered by it.

20. Maintenance of books of accounts, records, etc.

- (1) Every portfolio manager shall keep and maintain the following books of accounts, records and documents namely—
 - (a) a copy of balance sheet at the end of each accounting period;
 - (b) a copy of the profit and loss account for each accounting period;
 - (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period;
 - (d) a statement of financial position; and
 - (e) such other documents as may be specified by the Board.
- (2) Records in support of every investment transaction or recommendation which will indicate the data, facts and opinion leading to that investment decision shall be maintained by the Principal Officer either in physical or digital form.
- (3) Every portfolio manager shall intimate to the Board the place and address where the books of accounts, records and documents are maintained.
- (4) In addition to sub-regulation (1), every portfolio manager shall, after the end of each accounting period, furnish to the Board copies of the balance sheet, profit and loss account and such other documents for the preceding five accounting years as and when required by the Board.

21. Submission of net worth certificate.

Every portfolio manager shall furnish to the Board a net worth certificate issued by a chartered accountant as and when specified by the Board.

22. Maintenance of books of accounts, records and other documents.

The portfolio manager shall preserve the books of account and other records and documents mentioned under this chapter for a minimum period of five years.

23. Accounts and audit.

- (1) The portfolio manager shall maintain separate client-wise accounts.
- (2) The funds received from the clients, investments or disinvestments, all the credits to the account of the client like interest, dividend, bonus, or any other beneficial interest received on the investment and debits for expenses, if any, shall be properly accounted for and details thereof shall be properly reflected in the client's account.
- (3) The tax deducted at source as required under the provisions of the Income-Tax Act, 2025 (30 of 2025) shall be recorded in the portfolio account.
- (4) The books of account will be audited yearly by qualified auditor to ensure that the portfolio manager has followed proper accounting methods and procedures and that the portfolio manager has performed his duties in accordance with the law and a certificate to this effect shall, if so specified, be submitted to the Board within six months of close of portfolio manager's accounting period.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression “qualified auditor” shall have the same meaning as given to it under section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

- (5) The portfolio accounts of the portfolio manager shall be audited annually by an independent chartered accountant and a copy of the certificate issued by the chartered accountant shall be given to the client.
- (6) The client may appoint a chartered accountant to audit the books and accounts of the portfolio manager relating to his transactions and the portfolio manager shall co-operate with such chartered accountant in course of the audit.

24. Reports to be furnished to the client.

- (1) The portfolio manager shall furnish periodically a report to the client, as agreed in the contract, but not exceeding a period of three months and as and when required by the client and such report shall contain the following details, namely –

- (a) the composition and the value of the portfolio, description of securities and goods, number of securities, value of each security held in the portfolio, units of goods, value of goods, cash balance and aggregate value of the portfolio as on the date of report;
 - (b) transactions undertaken during the period of report including date of transaction and details of purchases and sales;
 - (c) beneficial interest received during that period in the form of interest, dividend, bonus shares, rights shares, etc;
 - (d) expenses incurred in managing the portfolio of the client;
 - (e) details of risk foreseen by the portfolio manager and the risk relating to the securities recommended by the portfolio manager for investment or disinvestment;
 - (f) default in payment of coupons or any other default in payments in the underlying debt security and downgrading to default rating by the rating agencies, if any;
 - (g) details of commission paid to distributor(s) for the particular client.
- (2) The report referred to in sub-regulation (1) may be made available on the website of the portfolio manager with restricted access to each client.
- (3) On termination of the contract, the portfolio manager shall give a detailed statement of accounts to the client and settle the account with the client as agreed in the contract.
- (4) The client shall have the right to obtain details of his portfolio from the portfolio managers.

25. Steps taken on Auditor's report.

The portfolio manager shall take steps to rectify the deficiencies made out in the auditor's report within two months from the date of the auditor's report as specified in Regulation 23(4) of these regulations.

26. Disclosures to the Board.

The Board may ask portfolio manager to disclose any information as and when required including the following –

- (a) particulars regarding the management of a portfolio;
- (b) any change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the certificate granted;
- (c) the names of the clients whose portfolio it managed;
- (d) particulars relating to the net worth requirement as specified in regulation 4(a)(iv) of these regulations.

27. Appointment of compliance officer.

- (1) Every portfolio manager shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions etc., issued by the Board or the Central Government and for redressal of investors' grievances.
- (2) The compliance officer shall satisfy the eligibility criteria as may be specified by the Board from time to time.
- (3) The role of compliance officer, specified in sub-regulation (1), shall not be assigned to the principal officer appointed in terms of regulation 4(b)(i) of these regulations or the employee of the portfolio manager appointed in terms of regulation 4(b)(ii) of these regulations.
- (4) The compliance officer shall immediately and independently report to the Board any non-compliance observed by him.

28. Dispute resolution mechanism.

- (1) All claims, differences or disputes between investors and the portfolio manager arising out of or in relation to the activities of the portfolio manager in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.
- (2) The Board may also recognize a body corporate for handling and monitoring the process of grievance redressal within such time and in such manner as may be specified.

CHAPTER VI

Portfolio Management Service Route for Investment in Mutual Fund units (PRIM)

29. Applicability

- (1) The provisions of this chapter shall apply to PRIM.
- (2) All other provisions of these regulations, except the following provision and the guidelines and circulars issued thereunder, unless the context otherwise requires or is repugnant to the provisions of this chapter, shall *mutatis mutandis* apply to PRIM—
 - (a) Clauses (ii), (iii) and (iv) of Regulation 4(a);
 - (b) Clauses (i) and (ii) of Regulation 4(b);
 - (c) Regulation 6(4);
 - (d) Chapter III;
 - (e) Chapter IV;
 - (f) Sub-regulations (3), (17) and (20) of Regulation 16;
 - (g) Clauses (b), (c), (d), (e), (f), (i), (k) of Regulation 17(1);
 - (h) Clauses (ii) and (iii) of Regulation 17(3)(d).

30. Registration and operational framework for PRIM.

- (1) An applicant shall apply for certificate of registration for providing PRIM under this chapter subject to conditions specified by the Board.
- (2) An existing portfolio manager intending to offer PRIM may be permitted to do so under segregated investment approaches, subject to such conditions as may be specified by the board.

31. Eligibility Criteria.

For the purpose of granting a certificate of registration under regulation 30(1) to a portfolio manager exclusively offering PRIM, the applicant shall fulfill the following:

(1) Eligibility Criteria and Infrastructure Requirements:

S. no	Requirements	Description
(i)	Infrastructure	The applicant has necessary infrastructure like adequate office space, equipment and manpower to effectively discharge the activities of a portfolio manager.
(ii)	Key Appointments	The applicant has appointed a principal officer and compliance officer.
(iii)	Net worth	(a) The applicant shall maintain minimum net worth requirement of at least two crore rupees at all times during the period of certification. (b) The net worth requirement under this regulation shall be maintained separately and independently from any capital requirements tied to the applicant's other business activities under relevant regulation and acts. (c) The applicant shall ensure to deploy at least ten percent of minimum net worth requirement in liquid assets which are unencumbered and shall include cash, bank deposits with Scheduled commercial Banks, money market instruments, Government securities, treasury bills, Repo on Government securities, units of liquid and overnight mutual fund schemes and any other instruments as specified by the Board.

(2) Principal Officer Qualification and Experience:

S. no.	Role	Education and Certification	Experience
(i)	Principal Officer	(a) Graduation from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a foreign university; or CFA Charter from CFA Institute, USA or Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India or Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India or Cost and Management Accountant from the Institute of Cost Accountants of India; and (b) The relevant and valid NISM certification as specified by the Board from time to time.	An experience of at least two years in securities market including with a portfolio manager, stock broker, investment advisor, research analyst, distributor of mutual fund or as a fund manager.

32. Permissible investment instruments.

The portfolio managers shall invest funds of the client only in direct plans of mutual funds in India including index funds, exchange traded funds and specialized investment funds.

33. Minimum Investment by clients.

- (1) The portfolio manager shall not accept funds or securities or a combination thereof worth less than twenty-five lakh rupees from a client.
- (2) Any renewal of portfolio on maturity of the initial period of agreement shall be deemed as a fresh investment.

34. Other conditions and restrictions.

The Board may specify additional conditions including segregation of clients, maintenance of records, fees, limits on investment in associates of portfolio manager, as deemed appropriate for the effective implementation of these regulations.

CHAPTER VII

INSPECTION AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS

35. Board's right to inspect.

The Board may appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of the books of account, records and documents of the portfolio manager for any of the following purposes –

- (a) to ensure that the books of account and other records/documents are being maintained in the manner required;
- (b) to ensure that the provisions of the Act, rules and regulations are being complied with;
- (c) to investigate into the complaints received from investors, other portfolio managers or any other person on any matter having a bearing on the activities of the portfolio manager; and
- (d) to investigate *suo motu* in the interest of securities market or investors' interest into the affairs of the portfolio manager.

36. Procedure for inspection.

- (1) Before undertaking an inspection under regulation 35, the Board shall give a reasonable notice to the portfolio manager.
- (2) The Board may, for reasons to be recorded in writing, may dispense with the requirement of such notice in the interest of the investors or in public interest.
- (3) During the inspection, the portfolio manager against whom an inspection is being carried out shall be bound to discharge its obligations as provided under regulation 37.

37. Obligations of Portfolio Manager on inspection.**(1) Duty to produce documents and furnish information:**

It shall be the duty of every director, partner, officer and employee of the portfolio manager who is being inspected to provide to the inspecting authority such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with the statements and information relating to its activities as a portfolio manager within such time as the inspecting authority may require.

(2) Access to premises and records:

The portfolio manager shall allow the inspecting authority to have a reasonable access to the premises occupied by such portfolio manager or by any other person, on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the portfolio manager or any such other person and also provide copies of documents or other material which in the opinion of the inspecting authority are relevant for the purposes of the inspection.

(3) Examination and recording of statement:

The inspecting authority, during the course of inspection, shall be entitled to examine or record statements of any principal officer, director, partner and employee of the portfolio manager.

(4) Duty to provide assistance:

It shall be the duty of every director, partner, officer or employee of the portfolio manager to give to the inspecting authority all assistance in connection with the inspection which the portfolio manager may reasonably be expected to give.

38. Submission of report to the Board.

The inspecting authority shall, as soon as possible, submit an inspection report to the Board.

39. Action on inspection or investigation report.

The Board shall after consideration of inspection or investigation report take such action and measures as it may deem fit and appropriate including action under securities laws or under any other law for the time being in force.

40. Appointment of Auditor.

- (1) In addition to the inspection by inspecting authority, the Board may appoint a qualified auditor to inspect or investigate into the books of account or the affairs of the portfolio manager.
- (2) The auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as mentioned in regulation 35 of these regulations and the portfolio manager shall comply with the obligations specified under regulation 37 of these regulations.

41. Payment of inspection expenses.

The Board may recover any expenses incurred for the purposes of inspection or investigation of the books of account, records and documents including, but not limited to, the fees paid to the auditors for such inspection or investigation from the portfolio manager.

CHAPTER VIII**PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT****42. Liability for action in case of default.**

A portfolio manager who contravenes any of the provisions of the Act, rules or regulations framed thereunder or circular and guidelines issued thereunder shall be liable for any action specified under securities laws or under any other law for the time being in force.

CHAPTER IX

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

43. Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

- (1) The Board may, in the interest of clients or for the development of the securities market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations, if the Board is satisfied that:
 - (a) relaxation is procedural or technical in nature;
 - (b) the non-compliance was caused due to factor beyond the control of the portfolio manager; or
 - (c) the requirement may cause undue hardship to clients.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Board and such application shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.

44. Relaxation from regulations for furthering innovation.

The Board may exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be determined by the Board but not exceeding twelve months, for furthering innovation relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board.

CHAPTER X

MISCELLANEOUS

45. Power of the Board to issue clarifications.

In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications or guidelines in the form of notes or circulars which shall be binding on the portfolio manager.

46. Repeal and Savings.

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, shall stand repealed from the date on which these regulations come into force.
- (2) Notwithstanding such repeal, –
 - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration or approval granted, fees collected, registration or approval, suspended or cancelled, any adjudication, enquiry or investigation commenced or show-cause notice issued under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;
 - (b) any application made to the Board under the repealed regulations, prior to such repeal, and pending before it shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these regulations;
 - (c) the previous operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty, incurred in respect of any violation committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations has never been repealed.
- (3) After the repeal of Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Board shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

FIRST SCHEDULE*Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026*

[Regulation 3(1), 3(6), 7(1), 10(1),30(1)]

FEES

1. The fees payable by portfolio manager, as provided in the below given table, shall be paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.

S. no	Particulars	Fees/Charges
1.	Application fees payable by portfolio managers	Rupees one lakh
2.	Registration fees payable by portfolio managers	Rupees ten lakh
3.	Renewal fees (every three year)	Rupees five lakh

SECOND SCHEDULE

Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026

[Regulation 14]

CODE OF CONDUCT– PORTFOLIO MANAGER

- (1) A portfolio manager shall, in the conduct of its business, act honestly, fairly and with due skill, care and diligence and in the interest of investors in all its dealings with its clients and other portfolio managers.
- (2) The money received by a portfolio manager from a client for an investment purpose should be deployed by the portfolio manager as soon as possible for that purpose and money due and payable to a client should be paid forthwith.
- (3) A portfolio manager shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment. The portfolio manager shall either avoid any conflict of interest in his investment or disinvestment decision, or where any conflict of interest arises, ensure fair treatment to all his customers. It shall disclose to the clients, possible source of conflict of interest, while providing unbiased services. A portfolio manager shall not place his interest above those of his clients.
- (4) A portfolio manager shall not execute any trade against the interest of the clients in its proprietary account.
- (5) A portfolio manager shall not make any statement or indulge in any act, practice or unfair competition, which is likely to be harmful to the interests of other portfolio managers or is likely to place such other portfolio managers in a disadvantageous position in relation to the portfolio manager himself, while competing for or executing any assignment.

- (6) A portfolio manager shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, to the client either about the qualification or the capability to render certain services or his achievements in regard to services rendered to other clients.
- (7) At the time of entering into a contract, the portfolio manager shall obtain in writing from the client, his interest in various corporate bodies which enables him to obtain unpublished price-sensitive information of the body corporate.
- (8) A portfolio manager shall not disclose to any clients, or press any confidential information about his client, which has come to his knowledge.
- (9) The portfolio manager shall where necessary and in the interest of the client take adequate steps for the transfer of the clients' securities and for claiming and receiving dividends, interest payments and other rights accruing to the client. It shall also take necessary action for conversion of securities and subscription for/renunciation of rights in accordance with the clients' instruction.
- (10) A portfolio manager shall endeavor to –
 - (a) ensure that the investors are provided with true and adequate information without making any misguiding or exaggerated claims and are made aware of attendant risks before any investment decision is taken by them;
 - (b) render the best possible advice to the client having regard to the client's needs and the environment, and his own professional skills;
 - (c) ensure that all professional dealings are effected in a prompt, efficient and cost effective manner.
- (11) A portfolio manager shall not be a party to –
 - (a) creation of false market in securities;
 - (b) price rigging or manipulation of securities;
 - (c) passing of price sensitive information to brokers, members of the recognized stock exchanges and any other intermediaries in the capital market or take any other action which is prejudicial to the interest of the investors.
- (12) No portfolio manager or any of its directors, partners or manager shall either on their own or through their associates or family members or relatives enter into any transaction in

securities of companies on the basis of unpublished price sensitive information obtained by them during the course of any professional assignment.

- (13) A portfolio manager or any of its employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of his long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.
- (14) In case an employee of the portfolio manager is rendering such advice, he shall also disclose the interest of his dependent family members and the employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.
- (15) The portfolio manager shall abide by the Act, Rules, and regulations made thereunder and the Circulars/Guidelines / Schemes issued by the Board.
- (16) The portfolio manager shall comply with the code of conduct specified in the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.
- (17) The portfolio manager shall not use his status as any other registered intermediary to unduly influence the investment decision of the clients while rendering portfolio management services.

THIRD SCHEDULE**CONTENTS OF AGREEMENT BETWEEN THE PORTFOLIO MANAGER AND
HIS CLIENTS**
[Regulation 15]

The following shall be mentioned in the agreement –

1. Appointment of portfolio manager.
2. Scope of services to be provided by the portfolio manager subject to the activities permitted under the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026, viz, advisory, investment management, custody of securities, keeping track of corporate benefits associated with the securities. The Portfolio Manager shall act in a fiduciary capacity and as a trustee and agent of the clients' account.
3. Functions, obligations, duties and responsibilities (as discretionary and non-discretionary to be given separately) with specific provisions regarding instructions for non-discretionary portfolio manager which, *inter alia, includes* –
 - (i) terms in compliance with the Act, Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026, rules, regulations, circulars and guidelines made under the Act and any other laws/rules/regulations/guidelines etc.;
 - (ii) providing reports to clients;
 - (iii) maintenance of records of client wise transaction and related books of accounts;
 - (iv) provisions regarding audit of accounts as required under the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026;
 - (v) settlement of accounts and procedure therefor including the provisions for payment on maturity or early termination of the contract.

4. Investment objectives and guidelines –
 - (i) Investment approach, areas of investment, securities to be invested and restrictions, if any, imposed by the client with regard to the investment in a particular company or industry.
 - (ii) Particulars regarding investment amount, restrictions on investment, period of management, repayment or withdrawal.
 - (iii) Taxation aspects such as Tax Deducted at Source etc.
 - (iv) Condition that the portfolio manager shall not lend the securities of the client unless authorized by him in writing.
5. Requisite Authorization(s) for management and administration of the client's portfolio.
6. Risk factors: A detailed statement of risks associated with each type of investment including the standard risks associated with each type of investment.
7. Period of agreement– the agreement shall provide the period of the agreement in years, terms of termination, provision for early termination and/or provision for renewal in case of a renewable agreement.
8. Conditions under which agreement may be altered, terminated and implications thereof, such as settlement of amounts invested, repayment obligations etc.
 - (i) Voluntary/mandatory termination by the portfolio manager;
 - (ii) Voluntary/mandatory termination by the client;
 - (iii) Suspension by the Board or other regulatory authority.
9. Custody of securities.
10. Maintenance of Accounts– Maintenance of accounts separately in the name of the client as are necessary to account for the assets and any additions, income, receipts

and disbursements in connection therewith, as provided under the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026.

11. Change in the quantum of funds to be managed— The conditions under which the client may withdraw cash or securities from the portfolio account or bring in additional cash to be managed as per the terms and conditions that apply. The portfolio manager shall not change any terms of the agreement without prior consent of the client.
12. Access to information— (Subject to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2026) – Provisions enabling client to get the books of accounts of the portfolio manager relating to his transactions audited by a chartered accountant appointed by him and permitting the client an access to relevant and material documents of portfolio manager, provisions listing the documents for inspection along with timings for such inspection, furnishing of reports to the client subject to furnishing at least once in three months and the reports to be made available on the web site of the portfolio manager with restricted access to each client and other rights of clients etc. The provision that the statements / documents / report furnished by the portfolio manager to the client present a true and fair picture of the transactions.
13. Terms of Fees— The quantum and manner of payment of fees and charges for each activity for which services are rendered by the portfolio manager directly or indirectly (where such service is outsourced) such as investment management, advisory and transfer, and transaction costs with specific references to brokerage costs, custody charges, cost related to furnishing regular communication, account statement, miscellaneous expenses (individual expenses in excess of 5% to be indicated separately) etc. The provision that the portfolio manager shall take prior permission from the client in this respect.
14. Billing— Periodicity of billing, whether payment to be made in advance, manner of payment of fees, whether setting off against the account etc., type of documents evidencing receipt of payment of fees.

15. Liability of portfolio manager– Liability of portfolio manager in connection with recommendations made, to cover errors of judgment, negligence or willful misfeasance and in connection with discharge of duties or acts of other intermediaries, brokers, custodians etc.
16. Liability of client– restricting the liability of the client to the extent of his investment.
17. Death or Disability– providing for continuation/termination of the agreement in event of client's death/disability, succession, nomination, representation etc. to be incorporated.
18. Assignment– Conditions for assignment of the agreement by client.
19. Governing Law– The law/jurisdiction of country/state which governs the agreement to be stated.
20. Settlement of grievances/disputes and provision for arbitration– Provisions to cover protection of act done in good faith or Risks and losses, provisions for redressal of grievances, dispute resolution mechanism, reference for arbitration and the situations under which such rights may arise, may be made.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./373/2026-27]